दो दिवसीय

राष्ट्रीय-संगोष्ठी

31 जनवरी से 01 फरवरी, 2020

स्मारिका

महिलाओं की वर्तमान दशा
तथा
महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ

- आयोजक -

शिक्षा विभाग तथा ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
PT. SUNDARLAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH

डॉ. बंश गोपाल सिंह
कुलपति

Dr. Bansh Gopal Singh
Vice-Chancellor

क्रमांक 20 /कु.स./2020 बिलासपुर, दिनांक 29/01/2020

// शुभकामना संदेश //

यह प्रसन्नता का विषय है कि पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के द्वारा **"महिलाओं की वर्तमान दशा तथा महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ"** विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 31 जनवरी व 01 फरवरी 2020, को आयोजित किया जा रहा है।

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, वर्तमान परिपेक्ष्य में यदि देखा जाए तो सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय एवं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। परंतु फिर भी महिलाओं को उनके संपूर्ण अधिकार एवं प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए अभी और सशक्त तथा आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इस संगोष्ठी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक नए आयाम प्राप्त होंगे।

इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के सफल आयोजन तथा स्मारिका हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

बंश गोपाल सिंह
कुलपति

Prof. G.D. Sharma
Vice-Chancellor
ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA
Bilaspur (C.G.) 495001
Former Vice-Chancellor, Nagaland University (Central) &
Former Pro-Vice-Chancellor Assam University (Central)

प्रो. जी. डी. शर्मा
कुलपति
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.) 495001
पूर्व कुलपति, नागालैण्ड विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) एवं
पूर्व सह-कुलपति असम विश्वविद्यालय (केन्द्रीय)

क्रमांक 2579 / नि.स. / 2020 बिलासपुर, दिनांक 27 / 01 / 2020

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर शहर में स्थित ''पण्डित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग.'' द्वारा ''महिलाओं की वर्तमान दशा तथा महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ'' विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन एवं शोध संक्षेपिका का प्रकाशन किया जा रहा है जो कि एक सराहनीय प्रयास है।

मैं, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण द्वारा किये जा रहे प्रयास की हृदय से सराहना करता हूँ । राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में प्रकाशित होने वाली संक्षेपिका के माध्यम से समाज में महिलाओं की बराबर भागीदारी को विशेष रूप से समावेश किया जायेगा, जिससे समाज में महिला के प्रति दृष्टिकोण, किसी भी क्षेत्र में हो राजनीति, प्रबंधन, प्रशासन, कई बड़े बदलाव अवश्य ही होंगे। आधुनिक भारत में महिलाएं--राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। यह संक्षेपिका समाज में महिलाओं के प्रति असहाय, अबला, भेदभाव की भावना को समाप्त करने की दिशा में निश्चित रूप से उचित मार्ग प्रशस्त करेगी।

दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी पर आधारित शोध संक्षेपिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से विश्वविद्यालय एवं आयोजक समिति को हार्दिक शुभकामनायें एवं बधाई ।

नववर्ष 2020 के शुभकामनाओं सहित.....

G. D. Sharma

(प्रो. जी. डी. शर्मा)
कुलपति

Address Gandhi Chowk, Bilaspur (Chhattisgarh) 495001,
Telifax + 91- 7752-220007 (O), +91-7752-260010, Mob : +91-9406218401,
E-mail gduttasharma@yahoo co in, vc@bilaspuruniversity.ac.in, Website : bilaspuruniversity.ac in

प्रो. रविप्रकाश दुबे
कुलपति
Prof. Ravi Prakash Dubey
Vice Chancellor

डॉ.सी.व्ही.रामन् विश्वविद्यालय
करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with B+ Grade by NAAC
KARGI ROAD, KOTA, BILASPUR (C.G.)
Ph.: 07753-253804 Fax : 07753-253728 Mob.: 9617779311
Email : raviprakash@cvru.ac.in, info@cvru.ac.in
Website : www.cvru.ac.in

//शुभकामना–संदेश//

मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ.ग.) के तत्वाधान में31 जनवरी से 01 फरवरी, 2020 को "महिलाओं की वर्मान दशा तथा महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है।

महिला सशक्तिकरण एक बहु आयामी प्रक्रिया है।भारत में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य अनेक जटिलताओं एवं चुनौतियों से युक्त रहा है। इस संगोष्ठी से महिलाओं के प्रति सामाजिक, पारिवारिक अथवा कार्य क्षेत्र आदि सभी क्षेत्रों में आपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा।

इस राष्ट्रीय संगोष्ठी मे जुड़े देश के प्रतिष्ठित विद्धान/विदुषि सहित, प्राध्यापकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी भाग लेकर अपने शोध पत्रों के माध्यम से विचार व्यक्त करेंगे।

मैं इस उपलब्धि के लिए पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव व इस संगोष्ठी हेतु आयोजित समिति के सभी सदस्यों का ह्रदय की गहराइयों से शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ एवं संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूँ।

प्रो. रविप्रकाशदुबे
कुलपति

Bhopal Office : SCOPE Campus, NH-12, Near Misrod, Hoshangabad Road, BHOPAL - 47
Ph.: +91-755-2499657, 3293214-15-16-72, 3207080 Fax : +91-755-2429096

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
PT. SUNDARLAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH

डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव

Dr. INDU ANANT
Registrar

क्र. 088 / कु.का. / 2020

बिलासपुर दिनांक 31 / 01 / 2020

// संदेश //

यह प्रसन्नता का विषय है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा " महिलाओं की वर्तमान दशा तथा महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 31 जनवरी से 01 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है।

मैं आशा करती हूं कि शासन द्वारा उठाये गए कदम ने भारत में महिलाओं की सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शासन और कानून से प्राप्त अधिकारों के साथ भारतीय महिलाएं अपने को स्वतंत्र एवं सक्षम महसूस करते हुए विकास की ओर अग्रसर है।

राष्ट्रीय संगोष्ठी के सफल आयोजन एवं इस अवसर पर प्रकाशित होने वाले स्मारिका के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(डॉ. इन्दु अनंत)
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

संयोजक के कलम से .....

विश्वविद्यालय में निरंतर विभिन्न सामाजिक मुद्दो पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होता रहा है, जिसमें एक कड़ी और वर्तमान राष्ट्रीय संगोष्ठी रुप में जुड़ रहा है। विश्वविद्यालय एक मंच प्रदान कर रहा है कि हम ''महिलाओं की वर्तमान दशा तथा महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ'' विषय को लेकर विचारों का मंथन करें और उस मंथन से जो अमृतरुपी समाधान की प्राप्ति होगी उसका व्यवहारिक उपयोग किया जाना है।

वर्तमान समाज में जो नारी की दशा एवं दिशा है, किस प्रकार की है? उसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? इन सभी विषयों पर विचार विमर्श और समाधान हेतु विभिन्न क्षेत्रों की सफल नारियाँ वक्ता के रुप में अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हो रही हैं।

ममता की प्रतिमूर्ति नारी समाज में विभिन्न उत्पीड़न को सहते हुए सजग रुप से अपने परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनी रहती हैं। उनको परिवार, समुदाय, अथवा कार्यस्थल पर किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? और इससे किस प्रकार निपटा जा सकता है, आदि ज्वलंत मुद्दे है। जिस पर गहनता से विचार विमर्श करना आवश्यक है।

विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी विशेष रुप से इस समस्या पर विचार करने के लिए इस संगोष्ठी को आयोजित करने हेतु उत्साहित एवं प्रेरणास्त्रोत हैं आशा है यह संगोष्ठी हम सभी महिलाओं के लिए निश्चित रुप से सही दिशा प्रदान करने वाली सिद्ध होगी।

डॉ. बीना सिंह	डॉ. अनिता सिंह	डॉ. प्रीती रानी मिश्रा
संयोजक	सह-संयोजक	आयोजन सचिव

आयोजन समिति

संरक्षक

डॉ. बंश गोपाल सिंह

कुलपति

सहसंरक्षक

डॉ. इंदु अनंत

कुलसचिव

संयोजक

डॉ. बीना सिंह

विभागाध्यक्ष : शिक्षा विभाग

सह-संयोजक

डॉ. अनिता सिंह

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग

आयोजन सचिव

डॉ. प्रीती रानी मिश्रा

विभागाध्यक्ष : ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान

समिति के सदस्य

डॉ. बी.एल. गोयल

डॉ. प्रकृति जेम्स

डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति

श्री रेशमलाल प्रधान

श्री संजीव लवानियॉ

डॉ. एस. रूपेन्द्र राव

डॉ. पुष्कर दुबे

समिति के सदस्य

क्र.	समिति	सदस्यों के नाम	दायित्व
1.	स्मारिका (Souvenir) प्रशासन एवं मुद्रण समिति	डॉ. प्रीती रानी मिश्रा डॉ. दीपक कुमार पाण्डेय तनुजा बिरथरे श्रीमती अनिता दुबे हरीश चन्द्र वैष्णव सतीश साहू कैलाश	संयोजक सदस्य ---,,--- ---,,--- ---,,--- ---,,--- ---,,---
2.	शैक्षणिक सत्र एवं तकनीकी सत्र निर्धारण समिति	डॉ. अनिता सिंह डॉ. प्रीती रानी मिश्रा डॉ. दीपक पाण्डेय	संयोजक सदस्य सदस्य
3.	वित्त समिति	श्री चंद्रशेखर जांगडे डॉ. बी. एल. गोयल सरोज मरावी श्री गौतम सिंह	संयोजक सदस्य ---,,--- ---,,---
4.	आमंत्रण एवं विवरणिका (Brochure) वितरण समिति	डॉ. अनिता सिंह श्वेता कुर्रे हरदीप साहू नंदकिशोर यादव अखिलेश सनाढ्य	संयोजक सदस्य ---,,--- ---,,--- ---,,---
5.	मंच व्यवस्था समिति	डॉ. अनिता सिंह डॉ. प्रीती रानी मिश्रा श्वेता कुर्रे	संयोजक सदस्य ---,,---

		श्रीमती एकता श्रीवास्तव	----,,----
		महेन्द्र कश्यप	----,,----
6.	पंजीयन एवं किट वितरण समिति	श्री रेशमलाल प्रधान	संयोजक
		डॉ नीलिमा तिवारी	सदस्य
		पवन कुमार	----,,----
		श्रीमती अंजू साहू	----,,----
7.	चाय, जलपान एवं भोजन समिति	डॉ. एस.रूपेन्द्र राव	संयोजक
		श्री संजीव लावनियॉ	सदस्य
		डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी	सदस्य
		डॉ शालिनी शुक्ला	----,,----
		डॉ तनुजा बिरथरे	----,,----
		ओमप्रकाश गजेन्द्र	----,,----
		संगीता बड़गइया	----,,----
		रितु सिंह	----,,----
		डोंगेश्वर साहू	----,,----
		श्री प्रकाश तिवारी	----,,----
		सतीश कुमार साहू	----,,----
		कैलाश साहू	----,,----
		हरदीप साहू	----,,----
		रोहित भानु	----,,----
		शुभाशीष डे	----,,----
8.	आतिथ्य एवं परिवहन समिति	डॉ. बीना सिंह	संयोजक
		श्री संजीव कुमार लवानियाँ	सदस्य
		श्री दीपक कुमार पाण्डेय	----,,----

		श्रीमती नमिता शर्मा	---"---
		श्री ओमप्रकाश गजेन्द्र	---"---
		सौरभ वर्तक	---"---
		सतीश कुमार साहू	---"---
9.	तकनीकी समिति	श्री कपिल देव पटेल	संयोजक
		घनश्याम साहू	सदस्य
10.	प्रमाण-पत्र लेखन एवं वितरण समिति	श्री रेशमलाल प्रधान	संयोजक
		डॉ नीलिमा तिवारी	सदस्य
		राघव वर्मा	सदस्य
		श्रीमती शुचि चौधरी	सदस्य
		श्री प्रवीण शर्मा	सदस्य
		श्री गौतम सिंह	---"---
		श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय	---"---
11.	अतिथि गृह समिति	डॉ. एस. रुपेन्द्र राव	संयोजक
		श्री अभिनंदन कर्माकर	सदस्य
		श्री मनोज पाण्डेय	---"---
		श्री धनसिंह मरकाम	---"---
		श्री सोहन बरेठ	---"---
12.	प्रेस, मीडिया एवं रिर्पोटिंग समिति	डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति	संयोजक
		डॉ दीपक पाण्डेय	सदस्य
		श्री डोंगेश्वर साहू	---"---
		डॉ तनुजा बिरथरे	---"---
		श्री सोमेन त्रिवेदी	---"---
		रितु सिंह	---"---

गांधीवाद में महिला सशक्तिकरण का स्वरूप

डॉ. बी.एल. गोयल.
क्षेत्रीय निर्देशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डॉ. विभा गोयल
प्राध्यापक
सी.एम दुबे स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बिलासपुर

डॉ. हेमचन्द्र पाण्डेय
सहा.प्रा. राजनीति विज्ञान
सी.एम दुबे स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बिलासपुर

महिला सशक्तिकरण के लिए शासकीय और गैरशासकीय स्तर पर विश्व के अधिकांश देशों में किए जा रहे प्रयासों का वैचारिक आधार नारीवाद है। पश्चिमी देशों में विगत लगभग 250 वर्षो से नारीवादो विचारों का विकास विभिन्न रुपों में हुआ है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्रसंघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार किए जाने के बावजूद महिला सशक्तिकरण के विभिन्न प्रारुपों पर बहस चलती रही है। वैसे मानवाधिकारों के संदर्भ में भी यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि मानवाधिकारों का निर्धारण भी संस्कृति-सापेक्ष होना चाहिए।

नारीवाद के विकास के क्रम में महिला सशक्तिकरण के अनेक प्रतिमान सामने आए है। नारीराद के अनेक रुप देखने को मिलते हैं- उदारनारीवाद उग्रनारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, नववामवादी नारीवाद, दजितनारीवाद आदि। नारीवाद के इन विभिन्न रुपों में महिला सशक्ति करण के मुख्यतः तीन प्रतिमान अन्तर्निहित मिलते है। प्रथम और आरंभिक प्रतिमान यह है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक और अन्य क्षेत्रों में उन भूमिकाओं के निर्वाह के योग्य बना देना है जो पुरुषों के द्वारा निबाही जा रही हैं। अर्थात पुरुषों के जैसा बनना ही महिला सशक्तिकरण है।

दूसरा प्रतिमान यह है कि नारियां पुरुषों से न केवल भिन्न हैं बल्कि सेष्ट भी हैं। अतः उन्हे पुरुषों की तरह नहीं बनना है बल्कि उनमें नारीत्व के मौलिक गुणों का अबोध विकास होने देना ही उनका सशक्तिकरण है। वे पुरुषों के द्वारा रचे गये संसार से श्रेष्ट संसार की रचना कर सकती हैं।

तीसरा प्रतिमान, हमें गांधीवाद में मिलता है जिसमें उपर्युक्त दोनों प्रतिमान के अतिवाद को हटाकर महिला सशक्तिकरण के लिए एक संतुलित प्रतिमान का निमार्ण किया गया है। इसमें यह माना गया है कि स्त्री और पुरुष भिन्न भिन्न तो है लेकिन कोई किसी से अधिक श्रेष्ट नहीं है। दोनों की भूमिकाओं का अपना-अपना महत्व है। स्त्री और पुरुष परस्पर प्रतिस्पर्धी नहीं है बल्कि पूरक हैं। नारियों को हिस्से की भूमिकाओं को निबाटने में सक्षम बनाना ही उनका सशक्तिकरण है।

महिलाओं के साथ हो रहे अपराध

डॉ. बीना सिंह
विभागाध्यक्ष (शिक्षा विभाग)
पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

नमिता गौराहा
शोधार्थी
पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

हिंसा का तात्पर्य (संकुचित एवं प्रचलित अर्थो) में एक व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुँचाने से है, बल का सहारा लेकर किसी व्यक्ति स्थिति तथा संबंध का अतिक्रमण ही हिंसा है। सामाजित ढाँचा वस्तुतः एक त्रिकोण जैसा होता है, जिसमें हिंसा अक्सर ऊपर से नीचे होती है, समाज में ऊँची पीढ़ी पर बैठा हुआ वर्ग अपनों से निचले वर्गो पर हिंसा करता है, स्त्री हिंसा का शिकार दोहरे रुप में होती है। पहला शिकार वह अंतवर्गीय हिंसा का होती है तथा दूसरा ओर समान वर्ग के पुरुष की हिंसा भी भोगती है। अर्थात एक परिवार मे स्त्री को हिंसा का सामना दो स्तर अर्थात विवाह से पूर्व माता-पिता के घर में तथा विवाहोपरांत ससुराल में, पिता के घर में हिंसा की कथा हजारों साल पुरानी है। 600 ईसा पूर्व तक लिच्छति गणराज्य के लोग युवा कन्याओं को जरा सी भूल होने पर पत्थरों से मार-मार कर हत्या कर दिया जाता था। मध्ययुग में भारत में कन्याओं के प्रति हिंसा सम्भवतः चरम सीमा पर पहुँच गयी कन्याओं को पर्याप्त भोजन तथा पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता था। कन्या का पिता अपनी कन्या को लेकर बाजार में पूछता था, क्या इस कन्या का कोई हाथ थामेगा अगर नहीं तो इसे मार देगें। मत्स्य पुराण में पत्नी को सुधारने के लिए उसे रस्सी से बाँध कर फराठी से पीटा जाता था, किन्तु चोट सिर पर या पीठ पर नहीं होनी चाहिए। वही मुगलकाल में शहजादीयों को चार दीवार में कैद रखा जाता था एवं उनका विवाह राजनैतिक उद्देश्य के आधार पर तय किया जाता था। महिला के विरुद्ध हिंसा मे समाज में सर्वाधिक शोषण महिलाओं का होता है। इस दृष्टि से महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एवं शोषण है।

- भ्रूण - लिंग परीक्षण ,स्त्री भ्रुण हत्या
- नवजात शिशु - जन्म के समय हत्या, कुपोषण
- बाल्यकाल - शिक्षा एवं चिकित्सा का अभाव ,यौन उत्पीड़न
- किशोरावस्था - बाल विवाह, शीघ्र गर्भधारण, यौन हिंसा असुरक्षित गर्भपात, गर्भ निरोधक दवा खिलाना, लिंग परीक्षण दहेज उत्पीडन, विधवा जीवन जीने के लिए दबाव डालना , लड़का पैदा करने का दबाव डालना, सामाजिक बहिस्कार बांझपन।
- वृद्धावस्थापन - परित्याग, उपेक्षा ,वृद्ध के साथ दबाव पूर्ण व्यवहार।

इस प्रकार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले उपराध हिंसा का स्वरुप धारण करती है।

महिलायें की वर्तमान दशा तथा महिला सशक्तिकरण

डॉ पुष्कर दुबे
सहायक प्राध्यापक

सतीश कुमार साहू
शोधार्थी

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

महिला अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम् किरदार निभाती है अपनी भूमिकाओं में निपूर्णता होने के बावजूद आज के आधुनिक युग में महिला पुरुष से पीछे खड़ी दिखाई देती है महिला पूरी जिंदगी बेटी बहन माँ पत्नी दादी जैसी रिश्तों को निभाती है इन सभी रिश्तों को निभाने के बाद भी वह पूरी शक्ति के साथ नौकरी करती है। प्रत्येक महिला में उद्यमिता के गुण होते हैं। यदि वे आर्थिक रुप से स्वतंत्र हों तो महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। हमें समाज में ही नहीं, बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को रोकना होगा। मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है।

महिला-वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में, न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। चाहे खेल हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रौशन कर रही हैं। महिलाओं को खुद से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए - सही मायने में हम तभी नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर सकते हैं। नारी सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो शोध से जुड़ी गतिविधियां हों या फिर शिक्षा क्षेत्र, महिलाएं काफी अच्छा काम कर रही हैं। कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

Socio-economic status among Bhatra Tribe With special reference to Bastar

Dr. Anand Murti Mishra
Assistant Professor

Sharda Dewangan
Ph.D. Scholar

Anthropology and Tribal Studies Bastar University Jagdalpur

According to World Health Organization Gender is a socio-culturally constructed regarding the behavior, action and role a particular sex would perform. As a result the attitude, value and belief in connection to the role and status of a particular sex are formed. Some time the socio-cultural scenario show the pictures where women got the prominent role and sometimes negligible and curtailed the freedom in society. The progress or development of any society has direct positive relation with the status of women in that society.The present study has been conducted through interviews of 7 self help groups by selecting 3 villages of Bastar district. Which leads to the conclusion that the tribals follow their own sets of beliefs, rituals and ideals unlike the orthodox religions of India that treat women as the second sex? The economic condition of rural women has improved due to the schemes being run by the government, but they have to address various problems in their family environment for which they need to be more aware.

महिला सशक्तिकरण एवं भारतीय संस्कृति में महिलाओं की स्थिति में विरोधाभास

सूची चौधरी

प्रो. बी.जी. सिंह

पौराणिक युग से आधुनिक युग तक समाज में महिलाओं के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए यौन प्रताड़ना के कुछ मनोवैज्ञानिक पहलुओं की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहुँगी।

सबसे पहले चलते हैं पौराणिक युग में महिलाओं कि स्थिति की ओर यह युग गार्गी व मैत्रेयी जैसी महिलाओं का युग कहलाता है। गार्गी व मैत्रेयी महर्षि याक्यवलक्य की पत्नि थी, इनकी चर्चा उपनिषद में भी की गई है। लोपमुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नि थी, इनका पौराणिक कथाओं में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसी तरह अनुसुय्या महामुनी अत्री की पत्नि थी, ये सीता को teaching देती थी। इन्होने तीनों देवासी देवों को बालक बना दिया था। सती मदालसा इन्होंने अपने पुत्र को traning देकर उसे वीर बनाया। इस प्रकार देखा जाए तो पौराणिक युग विदुशी महिलाओं का युग था। महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था।

इसी तरह ऐतिहासिक संदर्भ में दृष्टीपात करें तो भी हमारा इतिहास महिलाओं के पराक्रम व जौहर से भरा पड़ा है। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजो से लोहा लेकर आजादी की लड़ाई में विरता पूर्वक अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी तरह पन्ना धाय ने राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। रजिया सुल्तान, जोधाबाई रानी पद्मावति आदी महिलाओं की वीर गाथाएँ इस बात का द्योतक है कि उस युग में भी महिलाओं को उचित मान-सम्मान प्राप्त था। जीजा बाई ने शिवाजी के मन में वीरता पूर्ण ओजस्वी भावनाएँ भर दी थी।

स्त्रीयों के प्रति समाजिक प्रत्यक्षीकरण की चर्चा करे तो भी हम देखते है कि महिलाओं के प्रति समाज का सकारात्मक प्रत्यक्षीकरण था।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"

स्त्रीयों को शाक्त संप्रदाय में रखा जाता था उनका आदि शक्ति दूर्गा देवी आदि के रुप में मूल्यांकन किया जाता था। शक्तिपीठ, ग्रन्थ जैसे देवासुर संग्राम सभी आदि शक्ति पर आधारित ग्रंथ है।

आदिम युग में थी स्त्री-पुरुष के बीच भेद नहीं था। दोनों ही समान दशा से कार्य करते थे जैसे - शिकार करना, पकाना, निवास प्रबंध पशुपालन आदि। उस समय मानव जंगल में रहता था और लिंग भेद का ज्ञान उसे नहीं था, बाद में शिक्षा के प्रसार के बाद ही लिंग भेद का concept उभर कर आया। हम कबिलों की संस्कृति पर नजर डालें तो अरापेस स्त्री प्रधान कबीला था, यहाँ स्त्रीयां ही मुखीया होती थी, इसी प्रकार कॉक्विटल डाबु जातियाँ खुद पुरुषों को बर्बर बनाती हैं।

सभ्यता के विकास के साथ लिंग भेद की भावना बढ़ती गई और स्त्री पर नियंत्रण समाज द्वारा बढ़ाया गया उनके पहनावे, वाणी, रहन सहन आदि की सीमाएँ दह जाने लगी। स्त्रीयों के लिए सामाजिक अधिकार निर्धारित कर दिए गए जैसे

स्त्रीयों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था इन सीमाओं के चलते महिलाओं का अचेतन तक प्रभावित हो गया और महिला खुद अपनी लड़कियो को इन सीमाओं को सीखाती थी, और उल्लंघन करने पर कठोर दंड भी दिया जाने लगा। उन्हें व्रत, उपवास, पूजा आदि के पालन हेतु दबाव डाला गया। सामाजिक प्रमापों के यथेष्ठ पालन न करने वाली स्त्री स्वयं दोष भावना से पीड़ीत हो जाती और आत्महत्या तक करने लगती।

कुछ समय बाद महापुरुषों के संघर्ष के परिणाम स्वरुप (राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती) नारी के प्रति सामाजिक दर्षष्टिकोण में परिवर्तन आया। स्त्री शिक्षा के विस्तार के साथ महिलाओं में स्वबोध और आत्मविश्वास आया वे दमनात्मकता से उबरने लगीं। नगरीय क्षेत्रों में धीरे-धीरे विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा और लड़कियों द्वारा मर्यादाओं का उल्लंघन भी किया गया। इसका कारण बहुत हद तक हमारा समाज द्वारा थोपे गए बंधन व नियम ही है क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है कि जहाँ-जहाँ निरोध होगा वहाँ-वहाँ विरोध होगा इसे Law of reverse effect कहते हैं। यहाँ हमें आवश्यकता है केवल साकारात्मक सोंच की। हमें अपने बच्चों को शुरु से ही सामाजिक व्यवहार व मौलिक संस्कृति की विशेषता को बनाए रखना सिखाना चाहिए। जब किसी बात के लिए उन्हे मना किया जाए तो मना करने का कारण बताना जरुरी है। ये नारी का ही जिम्मा है कि इस बर्बर पुरुष को सभ्य बनाएँ। स्त्रीयों को सबल बनाने के लिए शासन विशेष नियम, सुविधाएँ व अधिकार प्रदान किए गए है, परंतु प्रचार प्रसार की कमी के कारण उन्हे इसका पर्याप्त ज्ञान नहीं है।

लिंग भेद के जैसे ही यौन प्रताड़ना भी महिलाओं को मानसिक रुप से विक्षिप्त कर देता है। वह सामाजिक रुप से खुद को अपमानित समझती है इसके कारण वह अवसाद विसाद से ग्रस्त हो जाती है। परिणाम स्वरुप उनके सांवेगिक पक्ष में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन दो रुपों में होता है, या तो महिला अतिक्रोधित, उग्र, आक्रोशित हो जाती है, या फिर घृणा, अतिरेख, विसाद से घिर जाती है। दोनों रुपों में केवल दिशा का अंतर है। एक रुप में हत्या कर सकती है, तो दूसरे रुप में आत्महत्या।

वर्तमान समय में भी अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि पुलिस, मंत्री, अधिकारी सब पुरुष प्रधान समाज के ही अंग है। ये केवल नारे ही लगा सकते हैं, परंतु अपनी सोंच व प्रत्यक्षिकरण में परिवर्तन लाने का कोई प्रयास नहीं करते जैसा कि निर्भया हत्याकांड प्रत्यक्ष रुप से सामने है। इस स्थिति को सशक्तिकरण का विरोधाभाषी कहेंगे।

अब मैं महिलाओं से ही विनती करुंगी कि अपने बच्चों में भेद भाव करना बंद करिए उन्हे समान अवसर दीजिए। मर्यादाओं का ज्ञान कारण सहित बताइये क्योंकि एक स्वस्थ, समर्थ नारी ही एक स्वस्थ, समर्थ समाज का सष्जन कर सकती है।

''नर से बहुत बड़ी है नारी,
इसमें दो-दो मात्राएँ भारी,
न में आ की मात्रा ना,
र में ई की मात्रा री''
''नारी''

Work-Life Balance: A Biggest Challenge for Gender Equality in the Organisations

Dr. Pushkar Dubey
Assistant Professor and HOD
(Management)
Pt. Sundarlal Sharma
(Open) University Chhattisgarh

Dr. Abhishek Kumar Pathak
Assistant Professor
(Management)
Dr. C. V. Raman University
Bilaspur

Kailash Kumar Sahu
Research Scholar
(Management)
Dr. C. V. Raman University
Bilaspur

Work-life balance involves juggling workplace stress with the daily pressures of family, friends, and self. Every employee at workplace faces numerous problems in order to balance personal and professional life, especially women who are immensely facing work-life balance issues in the modern era where gender equality is probably the first priority of every industry to increase the diversity and culture at the workplaces. And yet, the question remains that how work-life balance for women can be solved and how gender equality goals can be achieved by the organisation. The solution discussed that first, the organisation may start with creating structures that work for women; this might include flexible schedules or time/job sharing and many more. Structures that are friendly will create opportunities for all. More often than not, if the opportunities are there, women will certainly follow and seek those out. Secondly, provide the needed training and resources. Thirdly and finally, create a culture of respect among all employees where usually have little issues with gender conflicts, as the culture is based on respect with dignity of human value. The present issues of women will probably be the issues of tomorrow. However, the intensity of these issues will be different. This is because it will take time to see that women are great contributors to the workforce, are assets of great value to the organization, and in the way of empowering women, they are creating teams- departments- organizations which is rich in culture, diversity and time.

Keywords: Work-Life Balance, Women Empowerment and Gender Equality.

महिला सशक्तिकरण : सरकारी योजनाओं के प्रति महिलाओं की जागरुकता

डॉ. शालिनी शुक्ला
पण्डित सुदंरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, सृष्टि के आरम्भिक काल से ही समाज के विकास में पुरुष के समान ही महिलाओं का भी विशेष महत्व रहा है महिला सृजन और निर्माण शक्ति की विभुति है महिला समाज और संस्कृति की जन्मदात्री तथा पोषककत्री है, जीवन के हर क्षेत्र मे महिलाओं का योगदान को स्वीकार किया गया है महिलाओं के विकास के बीना राष्ट्र के विकास की कल्पना करना सम्भव नहीं है। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रकिया है। समाज में बदलती परिस्थतियों ने और समाजिक एवं मानसिक विकषतियों ने महिलाओं के अस्तित्व और उनकी पहचान को अत्यधिक कठिन बना दिया है। विश्व स्तर पर नारीवाद विचारधारा 'नारीत्व', 'स्त्रीत्व', 'मातृत्व' के अहसास को

बरकरार रखती है। महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समानता का अधिकार दिलाने एवं उनके स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए महिला साशक्तिकरण का होना अनिवार्य है, महिलाएँ भी अपने अधिकरों का पूर्ण उपयोग कर अपना जीवन आराम से बिता सकती है किन्तु आज भी बहुत सी महिलाएं घरों के चारदीवारी में अपना जीवन यापन करन को मजबूर है घर का बोंझ, बच्चों की देखभाल में ही अपना समय व्यतीत करती है, ऐसी महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना हम सब का कर्त्वय है। सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान को महत्वपूर्ण मानतें हुए अनेक योजनाओं क्रियान्वय किया जा रहा है ऐसी योजनाओं का लाभ सभी महिला वर्ग को मिलना एवं उनकों अवगत कराना प्रत्येक महिला का दायित्व और कर्त्वय हो तभी सम्पूर्ण राष्ट्र का विकास पूर्ण रुप से होगा ।

वर्तमान युग में महिला सशक्तिकरण में तेजी आयी है जिसके फलस्वरुप महिलाएं खुद को अब दकियानूसी जंजीरो से मुक्त करने की हिम्मत करने लगी है, सरकार महिला उत्थान के लिए नई- नई योजनाएं बना रही है बहुत से एन जी ओं भी महिलाओ के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगी है जिससे महिलाएं बिना किसी सहारे के हर चुनौती का सामना कर सकने के लिए तैयार हो सकती है। महिलाओं के विकास के बिना देश और समाज का विकास अधूरा है इसलिए सरकार ने बच्चियों के सशक्तिकरण और विकास के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एवं बेटी बचाओं बेटी पढाओ जैसी अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना के तहत बच्चो के लिंग अनुपात में सुधार, नवजात बालिका शिशु के बचपन में सुधार, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान का उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।

महिलाओं के साथ हो रहे अपराध

भूपेन्द्र श्रीवास्तव
कार्यक्रम समन्वयक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

माँ की कोख से अचानक आवाज आती है रुक जाओ माँ मुझे मत मारो'' मैं आपकी प्यारी सी गुड़िया हूँ, आपकी परी रानी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे मत मारो प्लीज, मैं जीना चाहती हूँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मुझे रुखा-सूखा दे देना, मैं खालूंगी, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे मत मारो माँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी कोख का हमेशा नाम रोशन करुंगी, मैं सात पीढ़ियों तक आपके खानदान का मान बढ़ाउंगी, लेकिन मुझे मत मारो माँ।

फिर भी कुछ माँए नहीं पसीजती सिर्फ एक लड़के की खातिर बेटियों को मार डालती है। अपराध की परिभाषा क्या हो सकती है, यही सोचता हूँ क्या एक लड़के द्वारा लड़की को छेड़ना, बलात्कार करना, मारना, सताना सही अपराध है। अरे सबसे बड़ा अपराध तो माँ-बाप स्वयं अपने कन्याओं के साथ करते है। उन्हें जन्म न देकर, उन्हें शिक्षित न बनाकर, उन्हें आत्मनिर्भर न बनाकर, उन्हें निडर न बनाकर। समाज की छोडिये, समाज में महिलाओं दोष देना बहुत आसान है। आखिर हम भी तो समाज से बंधे हुए वहीं घिसे-पिटी मान्यताओं पर चलते है। अरे तोड़ दो बेड़ियां जो बेटियों के विकास में आडे

आये। आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ते है कि बेटियों के साथ गैंग रेप, बलात्कार, बेटियों पर तेजाब फेकना, छेड़छाड़ करना, मारना, हत्या करना आम बात हो गई है।

निर्भया कांड से 4 दिन तक देश जागा। मोमबत्ती की बिक्री में अचानक बाढ़ आ गयी। लोग मोमबंत्ती लेकर घरों से निकल पड़े। अरे मोमबत्ती से क्या होगा, यदि देना है तो बेटियों के हाथों में मशाल दो ताकि वह अपराध करने वालों को सबक सिखा सके। कब तक उसे डराकर रखोंगे, झूठे समाज की खातिर, मान मर्यादा का पाठ पढ़ाओंगे। महिलाओं पर सबसे ज्यादा 90 प्रतिशत योन अपराध घर, परिवार, रिस्ते-नाते एवं परिचितों द्वारा किये जाते है। आज अपराध का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया है। यदि आप वास्तव में आप महिला अपराधों को खत्म करना चाहते है, तो आप अपने बेटों को मोबाईल देते समय बोलिये, बेटा इस मोबाईल में तेरी माँ, बहन की आई.डी. है, इसे सोच समझ कर लाईक एंव कमेंट करना। चलिए एक सार्थक प्रयास हम लोग भी करते है।

वर्तमान रेशम उद्योग विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका एवं सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ

(छ.ग. जिले के विशेष संदर्भ में)

होत्री देवी
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
कलिंगा विश्वविद्यालय, न्यू रायपुर (छ.ग.)

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं की उस क्षमताओं से है। जिससे उनमें ये योग्यता आ जाती है। कि वे अपने जीवन से जुडे सभी निर्णय ले सके जिससे वे वित्तीय और आर्थिक स्तर पर आत्म निर्भर बन सके। सशक्तिकरण की आवश्यकता सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किये गये शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हुई है। आज के दुनिया में महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती है।

छत्तीसगढ़ में रेशम उद्योग विकास महिलाओं की भागीदारी के साथ अभिन्न रुप से जुड़ा हुआ है। वस्त्र मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों के जरिये रेशम उद्योग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्न कदम उठाए - जैसे समग्र सिल्क के तहत रेशम उत्पादन को मुख्य रुप से एक घेरलू गतिविधि के रुप मे अपनाया जाता है। रेशम उद्योग विकास में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। इससे गरीबों को स्थायी आय प्राप्त होती है। रोजगार का अवसर मिलता है। महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्रदान करता है। और उन्हे स्वतंत्र बनाता है। विश्लेषण के आधार पर कोसा निर्माण के पूर्व और पश्चात के कार्यकलापों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका लगभग 60 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय महिलाएँ कई बार तस्करी और अन्य प्रकार के शोषण का शिकार हो जाती है। अनेक जातियो वाले (छ.ग.) से साल में कई बार इस तरह की खबरे आती है। जिससे ग्रामीण महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के दौरान कई सारी चुनौतियो का सामना करना पड़ता है, जैसे अशिक्षा, पर्दा प्रथा, रुढ़ीवादी सोच जिसके कारण उनके आत्मनिर्भर बनने में कठिनाई आती है। इसी स्थिति को उपर उठाने और उन्हें आजिविका का एक स्थायी स्त्रोत प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हे (तसर) रेशम उत्पादन में प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकें। और समाज के कमजोर वर्ग के महिलाओं लिए अनुकूल आय का साधन उपलब्ध कराकर उन्हे सशक्त बना सकें।

वर्तमान मे स्त्रीयों की हालात और दिशा

बिरीज खान्डे
शिक्षा विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

भारत के महिलाएँ दिन ब दिन आगे विकास करने मे अग्रसीत हो रही है, शिक्षा और समानता के मिलने पर आज कंधे से कंधा मिलकर अपना एवं अपने समाज और परिवार की साथ मिलकर हर अवस्था में भागीदार हो रही है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा होगा जिसमें महिलाओं की भागीदार न हो अपने विकसित परिवार के नाम से आगे बढ़ने का एक अच्छा सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिससे हर वर्ग क्षेत्र में अपना योग्यता का दर्पण पेश कर रहीं है और कामयाबी मिल रहा है, आज देश में भारत-वर्ष में विभिन्न पदों में रह कर पद की गरिमा बढ़ा रही है। और प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बने हुए है और जन मानस की विकास मे सहयोगी बने हुये है।

आज माँ, बहन, सास, बहू, पुत्री, पत्नी का स्थान लेकर घर से समाज, गाँव, शहर व देश को उन्नतशील करने मे अपना योगदान दे रही है।

महिलाएँ आज राजनितिक क्षेत्र में जुड़कर देश को स्वच्छ भारत और विकसित भारत का निर्माण में लगी हुई है, हर वर्ग के भूमिका में महिलाओं का सराहनीय योगदान दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए उँचाईयों को छु रही है और हर संभव अपने स्तर से समाज और परिवार का कल्याण करने में आगे है। यह बात और था कि मध्य युग के पहले स्त्रीयों की दशा अक्षुण थी, उन्हें पढ़नें लिखने से दूर रखा जाता था पर्दा प्रथा, विधवा विवाह नही होना, सती प्रथा समाज के विभिन्न कर्मकाण्डों से दूर रखना और समय समय मे प्रताड़ित करना, उन्हें बाल विवाह की बलि चढ़ाना आदि कुरितियां थी, जो समाज को आगे बढ़ाने के बजाय और गर्त में ले जा रही थी समय के अनुसार सारी कुरितिया तो बंद हो गयी परंतु आज भी जंगलों के सुदुर क्षेत्रों और बीहण गाँवों मे शिक्षा की कमी के कारण आज भी महिलाओं से छुआछुत या उन्हें कई कर्मकाण्डों से दूर रखतें है जो शिक्षा का अभाव है ऐसे सूदूर क्षेत्रों मे भारत शासन भी जागा है और शिक्षा के माध्यम से अनेक कुरितियों को बंद कराने में सफल हुआ है।

आज महिलाओं की दशा का आंकलन शिक्षा मिलने के माध्यम से लगा सकते है पूर्व में शिक्षा के अभाव मे विभिन्न कुरितियाँ बनी हुई थी जैसे बाल विवाह चरम सीमा मे थी, बचपन मे ही विवाह कर दिया जाता था- इसका मुख्य कारण था जब किसी युवा- युवती का विवाह होता था तो समय के पहले करने से जमींदार या कुछ विशेष वर्गो के बंधुआ मजदुर या जबरन की नौकरानी बना लेना इस कुरीतियों से बच जाते थे अन्यथा जिसका परिवार धनवान होता था उसी घर की जीवन भर नौकरानी बन कर रहना पड़ता था इससे बचने के लिए बाल विवाह कर दिया जाता था, आज ऐसा नही है हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बड़ती क्रम में है जो आज शिक्षा की देन है।

लैंगिग असमानता

शैली श्रीवास्तव
बी.कॉम (अंतिम वर्ष)
बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

युगो-युगो से दुनिया के कई पुरुष प्रधान देशों में खास कर भारत में नारी शक्ति को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा एवं पूजा जाता रहा है। धर्मो के अनुसार यही माना जाता रहा है कि जिस जगह नारी का सम्मान किया जाता है। वहां देवी-देवताओं का वास होता है एवं घर-परिवार में सुख-शांति का संचार होता रहा है। पिछले कई वर्षो से भारत में लैंगिंग असमानता खाई लगातार बढ़ती रही है। हमें यही सिखाया जाता रहा है कि लड़किया हमेशा कमजोर होती है। वह किसी भी कार्य को लड़कों के समान नहीं कर सकती है। आज भी बहुत से परिवारों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता रहा है। कई परिवारों में बाल विवाह कर घर के कार्मो में लगाकर शिक्षा से वंचित करने जैसा घृणित कार्य किया जाता रहा है। अगर लैंगिग असमानता संबंधित समस्या के बारे में विस्तार से समझना चाहते है तो हम इस समस्या के शिकार हमारे देश में आज भी ऐसी कई जगह जहा जन्म से पूर्व ही लड़कियों को मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद फेक दिया जाता है। वास्तव में यह दोश पीढ़ियों की नकारात्मक सोच का है। जहां पुरुषों का बोलबाला रहता, जहां बेटियों को बोझ समझा जाता है एवं लड़कों कुल का दीपक समझ कर पूजा जाता है। बचपन से ही लड़कों के मन मस्तिश्क यही बीज बोया जाता है कि वह कुल का चिराग होता है। जबकि सच्चाई यह है कि एक बेटा शिक्षित होकर एक ही वंश चलाता है, जबकि एक लड़की शिक्षित होकर सात पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। देश में एक सर्वे के अनुसार 2011 में जनगणना के अनुसार सिर्फ बिलासपुर जिले में ही 1000 लड़कों पर 974 लड़किया थी, जबकि आज 2019-20 की गणना के अनुसार यह लिंगानुपात 946 रिकार्ड पर पहुंच गया है। एक वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे के अुनसार 2019 में बिलासपुर जिले में लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों के मुकाबले 924 ही रह गयी है। यदि हम भारत वर्तमान स्थित पर विचार करने जाये तो हमारी सरकार ने भी इस तरह के भेद-भाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कुछ उपयोगी कदम उठाए है, जिसकी सहायता से भले ही हम हमारे देश को थोड़ा कम लाभ मिलेगा। किन्तु भविष्य में उन्ही योजनाओं के कारण उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। मोदी जी की योजना ''बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं'' अभियान के कारण देश के अन्य राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार एवं अन्य राज्यों में भी मात्र 5 वर्षो में लड़कियों के जन्म दर में काफी वृद्धि हुई है। जैसे की हम सभी के मध्य एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि ''नर-नारी दोनों ही एक बैल गाड़ी के दो पहियों के समान होते है। यानी दोनों एक-दूसरे के पूरक होते है। ठीक उसी प्रकार संसार रुपी गाड़ी तब तक सहीं नहीं चलेगी, जब तक दोनों में असमानता व्याप्त होगी। अतः हमें यही प्रयास करना होगा कि लोगों को, समाज को एवं देश को जागरुक कर लैंगिंग असमानता की खाई को पाटा जा सके।

आज भी देश में ऐसे कई डॉ. है जो बेटियों के जन्म लेने में कोई पैसा नहीं लेते है, बल्कि उसके होने पर मिठाई बटवाते है। ऐसी सोच वालों को मैं नमन करती हूँ। यही सोच देश में लैंगिंग असमानता को दूर करने में मिल का पत्थर साबित होगी।

महिलायें की वर्तमान दशा तथा महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ

आकांक्षा अग्रहरि
एम.एड. (प्रथम सेमेस्टर)
आई.ए.एस.ई., बिलासपुर

वर्तमान परिदृश्य :- महिलाएं पितृसत्तात्मक ढांचों और विचार-धाराओं के कारण तकलीफें उठाती हैं, उन्हें महिला पुरुष असमानताओं और पराधीनता का सामना करना पड़ता है। महिलाएं सामाजिक और मानव विकास के समस्त सूचकों में पुरुषों से पिछड़ जाती है। महिलाओं के लिए भारत में दुनिया का सबसे प्रतिकूल महिला-पुरुष अनुपात है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा, महिलाओं स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक स्तर पुरुषों की तुलना बहुत कम है। महिलाएं अल्प कौशल और कम पारिश्रमिक वाली नौकरियों तक सीमित रहती हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में पारिश्रमिक और वेतन कम मिलते हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में लड़कियां असुविधाओं, बोझ और भय के डर तले, उपेक्षा, भेदभाव का बोझ, घरेलू कामकाज, भाई-बहनों की देखरेख, घर से बाहर काम करने का बोझ उठाती है। लड़कियां कोख में ही खत्म कर दिए जाने के भय, जहर दिए जाने, उपेक्षित होने और भरपूर प्यार, देखभाल, पोषण, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा न मिलने का भय, हमारी, छेड़छाड़ से लेकर दुष्कर्म जैसे यौन उत्पीड़न के भय के साथ भी जीती है। कड़े और बेहतर कानून पारित हो जाने के बाद भी, जधन्य सामूहिक दुष्कर्मो की संख्या बढ़ती जा रही है। विवाह के बाद उन्हें अकेलेपन, अन्मेलपन, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के भय का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों में शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों में सुधार हुए है, नीतिगत वक्तव्य महिलाओं के प्रति अब ज्यादा संवेदनशील हो गए है। सरकारी और गैर-सरकारी विकास एजेंसियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में भी कुछ वृद्धि हुई है और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हमारी सरकारों ने महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए महिला ब्यूरो, आयोग, विभाग और मंत्रालय स्थापित किए है। इसके बावजूद, हमें महिलाओं और पुरुशों में समानता प्राप्त करने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

महिला सशक्तिकरण :- महिलाओं और पुरुषों में समानता प्राप्त करने की दिषा में बढ़ने के लिए हमें उन्हें यानी-महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना होगा, जो अधिकारों से वंचित है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते समय, हमें महिलावादी चिंतन और विचारधारा, समानता, न्याय लोकतंत्र और निरंतरता के सिद्धांतों के सशक्तिकरण के बारे में अवश्य चर्चा करनी चाहिए।

चुनौतियाँ :- महिलाओं का सशक्तिकरण बहुआयामी और संपूर्ण होना चाहिए। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है।

1 महिलाओं के योगदान को समाज में अभिव्यक्त करना, जैसे महिलाएं बच्चों को जन्म देने और घर-गृहस्थी संभालने के साथ-साथ किसान, श्रमिक, कारीगर, व्यवसायी आदि भी है, वे सदैव उत्पादन में लगी रहती है और जीडीपी में उनका योगदान हमेशा ज्यादा रहा है। ये जीवन की उत्पादक, प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधक आदि है।

2 परिवार, समुदाय और राष्ट्रीय मामलों पर भी निर्णय लेना। सभी स्तरों पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना। विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प आदि जैसे क्षेत्रों के बारे में जानकारी, क्षमता और कौशलों की पहचान कराना।

3 महिलाओं को आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास प्रदान करने वाला सामाजिक वातावरण तैयार करना।

4 महिलाओं और लड़कियों को उनके पूरे सामर्थ्य का अहसास कराने के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कुछ गिनी-चुनी परंपरागत भूमिकाओं और व्यवसायों में धकेलने की जगह और विकल्प प्रदान करना। उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करना, जो उन्हें घरेलू बनाने की जगह सशक्त बनाए।

5 महिलाओं और लड़कियों की वास्तविक आवश्यकताओं परिवार के भीतर और 'बाहर उनके दर्जे' उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में महिलाओं और पुरुषों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना।

6 महिलाओं की भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी जरुरतें और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विशेष जरुरते पूरी करने के लिए उनको सुविधाएं, और संसाधन उपलब्ध कराना।

7 महिलाओं को उत्पादन के साधनों तक पहुंच और नियंत्रण, संपत्ति और अन्य संसाधनों तथा आमदनी पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता करना।

महिलाओं और पुरुषों में अंतर का एक अकेला महत्वपूर्ण कारण सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण है, जिससे महिलाओं के कल्याण, सामाजिक हैसियत और सशक्तिकरण को प्रभावित करता है। कौशल सीखने और उनका विकास करने तथा लाभप्रद रोजगार के अवसरो से वंचित रखा जाता है। महिलाओं के घरेलु कामकाज का आकलन नहीं किया जाता और यदि वे नगदी नही अर्जित कर पाती तो उनकी अहमियत कम करके आंकी जाती है, उन्हें बोझ और जिम्मेदारी समझा जाता है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो महिलाओं को तेजी से बदलती हुई विष्व की वास्तविकताओं को समझने के लिये आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल हासिल करने में मदद करे जो उन्हें अपमानपूर्ण और अमानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करें। महिलाओं को सशक्त समूह बनाने में सहायता करेगी, ताकि वे अपने जीवन पर ज्यादा **से ज्यादा नियंत्रण हासिल कर सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ मानवीय मूल्यों का भी सशक्तिकरण होना चाहिये।** महिलाओं का सशक्तिकरण यदि मजबूत और व्यापक बनाना है और कोई बदलाव लाना है, तो ऐसा सभी स्तरों पर और सभी वर्गों में किया जाना चाहिए।

Ensuring Property Rights of Women: A Key to Women Empowerment in India

Dr. Kiran Kori
Assistant Professor of Law
Hidayatullah National Law University
Raipur

Dr. Tanuja Birtharey
Assistant Professor of Law
Pt. Sundar Lal Sharma (Open) Univeristy
Chhattisgarh, Bilaspur

Absolute right over the tangible property plays an important role in strengthening the women at large and gives opportunities to assert themselves. Since immovable property is a valuable and critical resource, the resistance towards women's ownership rights over property is equally strong in patriarchal system that governs the Indian society. The institutions responsible for making laws and the people that implement them are themselves deeply conditioned with the customs, practices and beliefs that create barriers for women to own land in India. Besides the Constitutional provisions other provisions have been made under various legislations pertaining to women

property rights and succession laws. The Hindu Women's Right to Property Act, 1937, The Hindu Succession Act, 1956 (especially 2005 amendment), Indian succession Act, 1925 and The Muslim Personal law (Shariat) Application Act, 1937. Wherein the Muslim Personal Law is highly discriminatory, it excludes daughters and others like widows were in the bottom line in the succession order, this practice runs contrary to the Shariat where a daughter and widow cannot be excluded by any other heir and also have the protection from the testamentary restrictions. The shares of the daughters and widows are lower than a man. The girls have got the equal coparcener rights under the Hindu Succession Act (2005 amendment). Despite this the laws in several states do not necessarily follow the same spirit. The present paper will focus on the critical analysis of the various laws which ensures the equal rights of women in terms of ownership, possession, enjoyment and disposition of property. It also throws light upon the Transfer of Property Act, 1882 which empowers proprietary rights of women on property transferred to her under section 10 in a way that she cannot further alienate the property conveyed for the reasons of her future security.

KEYWORDS: WOMEN, PROPRIETARY RIGHTS, COPARCENERS, CONSTITUTION OF INDIA, PERSONAL LAWS, JUDICIARY

Domestic Violence against Women

Mrs. Ritika Soni
Reseach Scholar
Pt. Sundar Lal Sharma (Open) Univeristy Chhattisgarh, Bilaspur

The Present paper is conceptual based. Domestic violence is an affront to women's inherent dignity & as such there is need to protect the dignity of women. Domestic violence is now receiving substantial attention resulting in increasing funding for research on violence against women worldwide. The special nature of this article demands that safety concerns be considered from the very beginning of a study through its implementation and dissemination which is possible only when the all educated persons look forward for the same. Donors and researchers alike can make their own contribution to women's safety by following the guidelines and never putting research objectives above women's well-being.

Radicalization of Women's Empowerment: Looking through an Anti-Caste Lens

Dr. Uttam Kumar Panda
Assistant Professor of Sociology
Hidayatullah National Law University (HNLU), Raipur

Empowerment of women is generally understood as a process of upliftment of women in socio-political, economic and public sphere at large. Women's empowerment is antithetical to the notion that "women must be controlled, governed, regulated" and "aims at facilitating a condition where women are part of decision-making process and also in control of their lives" in all spheres. India's radical feminists like Jotiba Phule, Savitribai Phule, B.R. Ambedkar and Periyar had understood women empowerment as a goal that is integrally and organically connected with the annihilation of the whole brahminical patriarchal structure itself. With this understanding of the women's empowerment, the paper critically looked at radicalizing the concept through an anti-caste perspective. As we know, India occupies a unique position with regard to the patriarchal values, the origin of which is embedded in the Vedic scriptures and Manu Smriti. Gender inequality is prescribed, sanctioned and operated through the Varna system led caste system. Hence, the concept of women's empowerment especially with reference to the Dalit women requires special attention at policy level in order to address the multiple oppressions including gender, caste, employment, decision making etc. Cultural-Political transformation is an essential prerequisite to achieve an egalitarian society where the women's empowerment for gender equality is truly envisioned in every sphere of human life. Going beyond the narrow "economic" side of women's empowerment, the paper aims at the socio-cultural and historical roots of the marginalization of Dalit Women in India. While engaging with broader discourse the paper has tried to discuss some vital questions. The questions are: Can we aspire to achieve Women's Empowerment without first grappling with the gendered oppressions and caste hierarchies? Is the understanding of women's empowerment uniform among women of all castes? Where do we locate the dual problems/fights (Caste and Gender) of Dalit women in India? The paper is based on a review analytical method.

Key Words: Women's Empowerment, Radicalization, Dalit Women, Brahminical Patriarchy, Caste, Gendered Oppression, Anti-Caste Perspective.

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा जगत की चुनौतियां

डॉ.ऊशीबाला गुप्ता
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न और विकसित होने हेतु सम्भावनाओं के द्वार खुलें, नये विकल्प तैयार हों। महिला सषक्तिकरण के सन्दर्भ में पं.जवाहरलाल नेहरु द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य- ''लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरुरी है एक बार जब वे अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।'' भारत में महिलाओं को

सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरुरी है जैसे- दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विशय। लैगिंक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर धकेलता है।

सरकार ने वर्ष 2001 के महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था जिसका उद्देश्य महिला अधिकारों और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरुकता लाना है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाऐं प्राचीन समय की अच्छाइयों, बुराइयों से लेकर नये समाज से संबंधित कुरीतियों, अंधविश्वास से हटकर नये समाज के योगदान में निर्माण दे रही है। आज गॉव में भी आधुनिकता दिखाई दे रही है जिसके प्रभाव के कारण आज महिलाऐं स्कुल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल, कार्यालयों में स्वयं जाकर अपना कार्य कर रही है। खुद महिलाओं के प्रयास से ही पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाने में सरपंच महिलाओं की अहम भूमिका, गॉव में शुद्ध जल और नशाखोरी के खिलाफ सामूहिक अभियान, महिला समूह द्वारा उत्पादित लद्यु गृह उद्योगों द्वारा करोड़ो रुपयों का लाभ अर्जित कर साबित कर दिया हे कि हम किसी से कम नहीं। कई ऐसी महिलाऐं है जो सशक्त नारी की रुप रेखा निर्धारित करती है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बैनर्जी, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू, मायावती, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज आदि जहां राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की ओर से अग्रणी है वहीं साहित्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीरा बाई, मन्नू भण्डारी, शिवानी, अम्रता प्रीतम से लेकर उनके समय की लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं में नारी जगत को गौरवान्वित किया। ''श्रृंखला की कड़ियॉ'' में महादेवी जी ने लिखा है कि भारतीय नारी जिस दिन अपने सम्पूर्ण प्राण प्रवेग से जाग सके उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए सम्भव नही है।

दुनिया के जो भी देश आज समृद्ध और शक्तिशाली है वे शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़े है। इसलिए आज समाज की आधी आबादी अर्थात् महिलाऐं जो कि विकास की मुख्य धारा से बाहर है, उन्हें शिक्षित बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये।

महिला सशक्तिकरण

श्रीमती कुसुम कान्ति कुजूर
शोधार्थी (शिक्षा)

श्रीमती राजश्री कुम्भज
शोधार्थी (शिक्षा)

पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कोई भी देश उन्नति पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाए कन्धे से कन्धा मिला कर ना चलें। देश की तरक्की के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। एक बार महिला अपना कदम आगे बढ़ा लेती है, तो फिर परिवार आगे बढ़ता है और राष्ट्र का विकास होता है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसे प्रति एक परिवार में बचपन से ही प्रचारित व प्रसारित करना आवश्यक है। इसके लिए यह भी मूल रुप के ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को एक बेहतर शिक्षा प्राप्त हो।

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पास किए गए कुछ अधिनियम इस प्रकार है :-

1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
2. दहेज रोक अधिनियम 1961
3. एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976
4. मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987
5. लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994
6. बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006
7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन षोशण एक्ट 2013

पूर्ण समाज को मिलकर महिला सशक्तिकरण पर बल देना होगा ताकि महिलाएँ भी देश की अर्थव्यवस्था में बराबर का योगदान प्रदान कर पाए। इसके लिए एक अहम बात है कि हमें अपनी सोच और विचार बदलने होंगे। एक नई सोच के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा। महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जबरदस्ती करता है तो उसे दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। छेड़खानी पर कानून धारा 509, 294 आई.पी.सी. के अनुसार कोई भी शब्द ईशारा या मुद्रा जिसमें महिला की मर्यादा का अपमान हो।

लैंगिक असमानता

डॉ. श्रीमती अंजू शुक्ला
प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की रही है। एक ओर संवैधानिक स्थिति में स्त्री को पुरुष के समान बराबर का दर्जा देने की बात कही जाती है, तो दूसरी ओर पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से देखे तो स्त्री हमेशा दूसरे दर्जे की रही है। परिवार लड़की के जन्म को अच्छा नहीं मानता। यदि लगातार दो तीन लड़कियाँ पैदा हो गई तब तो माता पिता भाग्य से लेकर लड़की जन्म को लेकर कोसने लगते है। ऐसी मान्यता है कि लड़की पराई है, लड़की के हाथ से भरने के बाद पानी नही मिलता। लड़का पितृ-तर्पण से लेकर पुसवन नामक नरक मुक्ति दाता होता है। स्त्री के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। पति के खाने के बाद पत्नी खाना खाती है। बेटा के पढ़ाई लिखाई में मता पिता बेटी के पढ़ाई से अधिक खर्चा करते है। समाज में पुरुष को उच्च स्थान प्राप्त है। स्त्री के साथ पति मार-पीट से लेकर दहेज मांगने तक का अपराध करता है। दहेज के कारण रोज स्त्री आत्मदाह करती है या अग्नि में जिंदा जला दिया जाता है। स्त्री पढ़ी लिखी है तब भी स्त्री दहेज लेकर अपने ससुराल आती है, जबकि पति नहीं लाता। यदि स्त्री विधवा हो गई तब तो सामाजिक रुप से उसका स्तर और भी गिर जाता है। अमांगलिक, अशुभ के ताना से लेकर घर निकाला तक की कष्ट पीड़ा को झेलना उसकी नियति बन जाती है। जबकि पुरुष पत्नी के मरने के तुरंत बाद दूसरा विवाह कर लेता है। कन्याभ्रूण हत्या का अपराध तो हमारे समाज में कंलक के साथ स्त्री के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्त्री को संसार में

आने के पहले ही विज्ञान के सहारे रोका जा रहा है। माँ के गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जा रही है। इससे बड़ा लैंगिक असमानता क्या होगा। अखबार को प्रत्येक दिन पढ़ते है। छोटी-छोटी लड़कियां बलात्कार की शिकार है। केवल बलात्कार ही नही अपितु सामूहिक बलात्कार के बाद लड़कियों की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ा क्रूरतापूर्ण व्यवहार समाज में हो ही नही सकता है। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में महिलाओं को जब जांच के दौर से गुजरना पड़ता है, उस समय समाज की ओछी मानसिकता, सामाजिक टीका टिप्पणी के साथ स्त्रीजन्म की विडम्बना आड़े आती है। अधिकांश स्त्री न्यायिक लड़ाई को बीच में ही छोड़ देती है। अपहरण, लूट, यौन शोषण, बलात्कार, परिवार द्वारा मारपीट, पति के अत्याचार, शराबी जुआरी पति के अत्याचार, टोनही प्रताड़ना जैसे जघन्य अपराध महिलाओं के लिए लैंगिक असामनता का भयावह उदाहरण है।

महिला सशक्तिकरण एवं महिला अपराध के विशेष संदर्भ में

श्रीमती मंजू भट्ट
सहायक प्राध्यापक
लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा महाविद्यालय, बलौदा

समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में महिला एवं पुरुष दोनो ही एक दुसरे के पूरक है किसी भी देश,राज्य या समाज के संम्पूर्ण विकास के लिए महिला एवं पुरुष दोनो का समान गति से उन्नति के पथ पर अग्रसर होना आवश्यक है। किसी भी सभ्य समाज की वास्तविक स्थिति जाने का एक तरीका यह भी है कि हम यह जाने कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, उनके अधिकार क्या है और उनकी शैक्षिक उपलब्धि कैसी है तथा उन पर कोई अत्याचार या अपराध तो नही हो रहा है स्वामी विवेकानंद ने कहा था ''समाज रुपी गरुड़ के महिला और पुरुष दो पंख होते है। यदि एक पंख सबल तथा दुसरा निर्बल हो तो उसमें आकाश छूने की शक्ति कैसे निर्मित होगी।''

महिला सशक्तिकरण :- महिला सशक्तिकरण अर्थात महिलाओ को आध्यात्मिक, राजनीतिक, मनो समाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व व्यवहारिक रुप से सशक्त करना। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण द्वारा मानव विकास की वृद्धि की बुनियादी सुद्रढ़ होती है। इसका महिलाओ के मानसिक, शारीरिक, तथा मनोवैज्ञानिक रुप से सकरात्मक और व्यवहारिक प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते है तो मात्र वह पुरुष ही शिक्षित होता हैं। परंतु यदि एक महिला को आप शिक्षित करते है तो पीढ़िया दर पीढ़िया शिक्षित हो जाती है। महिलाएं अधिक आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकती है महिला सशक्तिकरण ही महिलाओ की कार्य शक्ति व उनके अधिकारों से है। भारत में महिलाओ के सशक्तिकरण से सबंधित समस्या का समाधान वास्तविक दृष्टि कोण है जो कि आर्थिक सशक्ति करण के सभी अंतर सबंधी मुद्दे समाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ और रीति-रीवाज के नियंत्रण द्वारा ही हो सकता है।

महिला अपराध :- भारत में ऐसा कोई स्थान नही है जहाँ महिला अपराध न होता तो और तो सुबह के अखबार में दिन-प्रतिदिन इस प्रकार की खबर छपी या पढ़ी जा सकती है- चंद पैसो के लिए मासुम लड़की को बेचा गया, घर से पत्नी को मार के निकाल दिया गया, बहु को दहेज के लालच में जला दिया गया, बच्ची से दुष्कर्म हुआ । इसमें मन में अत्यधिक पीड़ा से भर जाता है और सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि क्या यही महिला सशक्तिकरण है,? महिला अपराध के कई रुप है जिस पर प्रकाश डाला जा रहे है-

1) कन्या भ्रुण हत्या :- वर्तमान समय मे कन्या भ्रुण हत्या का प्रचलन बड़ा है, जिससे समाज में महिला पुरुष संख्या मे असंतुलन की समस्या जन्म ली है कन्या को लक्ष्मी की उपमा देने वाली हमारी संस्कृति आज इतनी क्रूर व अमानवीय हो गई है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कन्या को अनुपात घट रहा है। कन्या भ्रुण हत्या का महिला सशक्तिकरण पर जनसंख्या नैतिक स्थिति का कारक है। इसका समाधान समाज के हाथ मे ही है।

2) आत्महत्या :- भारत मे प्रतिदिन लगभग 50 से अधिक ग्रहणियाँ आत्महत्या का मजबूर होती है इनमे से 25% से अधिक महिला निरक्षर होती हे। आत्महत्या के कारण

1) घरेलु हिंसा, ग्रह कलह पति द्वारा मार-पीट।

2) यौन उत्पीड़न, एवं बलात्कार का शिकार होना।

3) दहेज प्रताड़ना।

4) प्रेम मे असफलता।

5) परिजन या अन्य किसी के द्वारा देह व्यापार में धकेल दिया जाय।

3) दहेज प्रथा :- हिंदु समाज में विवाह से सबंधित सबसे कठिन एवं भयंकर कुरीति है दहेज-दहेज का अर्थ विवाह के लिए लड़के को खरीद लेना और दहेज का वर्तमान रुप यही है दहेज के लिए विवाहित को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। निरपराध महिलाओं को आत्महत्या करने विवश होना पढ़ता है। अज्ञानता के कारण महिलाओ पर परम्पराओ एवं रुढ़ियो की जंजीर कसती गयी और आर्थिक परावलम्बन बढ़ता गया तथा सम्मान घटता गया। वे विलासित की वस्तु बन कर रह गयी थी यूं कहा जाये कि वह वस्तु मात्र बनकर रह गयी। निर्णय लेने एवं शासन के समस्त अधिकार पुरुषों को सौप कर स्त्रियों के लिए व्यक्तित्व विकास एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे बाते बेईमानी हो गयी महिला अज्ञानता के अधेरे में गुम होती चली गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ मुद्दो पर निर्णय लिया है-

1) महिलाओ के अधिकारों की जागरुकता।

2) स्वास्थ सबंधी समस्याओं की जागरुगता।

3) महिलाओ के विरुद्व हिंसा के प्रति जागरुकता।

4) इलाज की सुविधाएँ महिलाओ को मुहईया करना इत्यादि।

निष्कर्ष :- विभिन्न क्रियाकलापो जैसे कि जनसुनवाई, प्रादेशिक और राष्टीय स्तर की हस्तियां व्यापिक जागरुकता शिविर, परिवारिक महिला लोक अदालत के जरिए महिलाओ के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण से जुड़े समाजिक, आर्थिक राजनैतिक और किसी मुद्दो पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रकिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तमक दृष्टिकोण के प्रति जागरुक किया जाता है, जिसने महिलाओ की स्थिति को सदैव कमतर माना है। अतंराष्ट्रीय संस्थाओ ने महिलाओ के समाजिक समता, स्वतंत्रता और व्याव के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सदर्भ ग्रन्थ :-

द्विवेदी पी.सी.- '' भारतीय समाज में नारी की स्थिति एवं महिला सशक्तिकरण '' रिसर्च जनरल एजुकेशन 2013

दुबे एल. एन. - ''महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका'' रिसर्च जनरल एजुकेशन 2013

शुक्ला बृजगोपाल -'' महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा '' रिसर्च जनरल एजुकेशन 2013

शुक्ला बृजगोपाल -''भारतीया समाजः मुद्दे एवं समस्या'' रिसर्च जनरल एजुकेशन 2013

Issues and Challenges of Women Empowerment in India- A Study

Dr. (Smt.) Manju Pandey
Assistant Professor
Department of Geography,
Govt. Mata Shabri Naveen
Girls P.G College Bilaspur.

Dr. Ramesh Pandey
Assistant Professor
Department of Commerce
Govt. Bilasa Girls
P.G College ,Bilaspur

Shushma Tiwari
Department of Commerce
Govt. Bilasa Girls .
P.G College, Bilaspur

The paper analyze the status of Women Empowerment in India and highlights the Issues and Challenges of Women Empowerment. Today the empowerment of women has become one of the most important concerns of 21st century. But practically women empowerment is still a false impression of reality. We observe in our day to day life how women become victimized by various social evils. Women Empowerment is the vital instrument to expand women's ability to have resources and to make strategic life choices. Empowerment of women is essentially the process of upliftment of economic, social and political status of women, the traditionally underprivileged ones, in the society. It is the process of guarding them against all forms of violence. The study is based on purely from secondary sources. The study reveals that women of India are relatively disempowered and they enjoy somewhat lower status than that of men in spite of many efforts undertaken by Government. It is found that acceptance of unequal gender norms by women are still prevailing in the society. The study concludes by an observation that access to Education, Employment and Change in Social Structure are only the enabling factors to Women Empowerment.

Key Words: Women Empowerment, Education, Health, Socio-Economic Status

महिला सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार की योजनाएं

कुमारी विभूति सचदेव
बी.एस-सी. तृतीय वर्ष गृह विज्ञान
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर

कुमारी अदिति सचदेव
बी.ए.आनर्स,इतिहास,द्वितीय सेमेस्टर
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हूए, महिलाएं किसी भी समाज का स्तम्भ हैं। हमारे आस पास महिलायें, सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं, सक्षम सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता व सौम्यता से निभा रही हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है।

नारी समाज का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्त्री की सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, ममता ही उसकी असली शक्ति है। यदि एक महिला कुछ करने का निश्चय करती है तो वह उस कार्य को पूरा करने से पीछे नहीं हटती और पुरुषों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर अपनी शक्ति का परिचय देती है। प्राचीन काल में ऐसी

वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने अपनी शक्तियों का परिचय देकर इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज कराया है जैसे गार्गी, महारानी लक्ष्मीबाई आदि। कहने का तात्पर्य नारी ना तो प्राचीन काल में अबला थी ना आज है, बल्कि आज की नारी ने अपने अधिकारों को जाना है समझा है और अपने जीवन से जुड़े निर्णय को स्वयं लेने में सक्षम है। हम सब यह जानते है कि जब एक स्त्री पढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो समाज और देश उन्नति करता है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्थान हेतु अनेक कानून लागू किए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं-

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - यह एक सामाजिक अभियान है जिसका लक्ष्य महिला भेदभाव के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याण सेवाओं पर जागरुकता बढ़ाना है। 22 जनवरी 2015 को शुरु, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त उपक्रम है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - यह योजना गर्भवती और शिशुओं की देखभाल में जुटी महिलाओं को नकदी मुहैया कराकर उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए गुंजाइश बनाती है। इसे पहले मातृत्व लाभ कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था।

राष्ट्रीय महिला कोष - इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को आजीविका संबंधी सहयोग और आय पैदा करने संबंधी गतिविधियों की खातिर आसान शर्तों के साथ छोटे स्तर पर कर्ज मुहैया कराना है, ताकि उनका सामाजिक'- आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।

कामकाजी महिला छात्रावास - इस योजना का उद्देश्य है कि काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध कराना। जहां पर उनके बच्चों के देखभाल की सुविधा और जरुरत की हर चीज उपलब्ध हो। यह योजना शहरी, सेमी अरबन और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्ध हैं जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं।

महिला शक्ति केंद्र योजना - यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए उंब्रेला स्कीम मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2017 में संचालित की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है।

उक्त योजनाओं से महिलाओं को सशक्त करने के अतिरिक्त हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों द्वारा तथा समय समय पर संसद द्वारा पारित अनेक कानूनों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक रुप से आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अपनी शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागयक महिलाओं ने समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना स्थान बनाकर प्रतिष्ठा अर्जित की है। नारी शक्ति का भविष्य उज्ज्वल है और शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमें सशक्त बनाती है अतः हमारा मत है कि शिक्षा जीवन का अनमोल धन है हम उसे अवश्य अर्जित करें।

Professional Women: the Continuing fight back for Acceptance, Recognition and Equality

Dr. A.N Singh
Assistant Professor

Dr. D.P Dewangan
Assistant Professor
Department of Commerce
Govt. Bilasa Girls .P.G College Bilaspur

Dr. Priyanka Singh
Department of Commerce

Throughout the past years, the situation of professional women has changed dramatically. Women have expanded their career aspirations. They are no longer confined to traditional female fields such as education or nursing. Men and Women are considered as the sporting counterpart for each other, but the major conflict in this systematic support is the term Gender Discrimination. We have seen the integration of women into previously male dominated fields such as accounting, medicine, law, etc. Integration, however, does not necessarily mean acceptance and equality nor does it mean that the stress created by work family conflict has been resolved. This paper will examine some of the issues that continue to outbreak women as they attempt to progress in their professional fields. The study concludes by a remark that access to education, self confidence and transform in social arrangement are some of the factors to Professional Women who are continuing their fight back for acceptance, recognition and equality at their work place.

Keywords: Women, Professional Women, Acceptance, Recognition and Equality Insecurity and Problems, discrimination, work Place

महिला सशक्तिकरण परमावश्यक

पवन सिंह राजपूत
सहायक प्राध्यापक
डी.पी. विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

श्रीमती श्वेता ठाकुर
एम.एड. प्रशिक्षार्थी
डी.पी. विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

यह विडबंना ही है कि देवी पूजन वाले इस देश में कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री उत्पीड़न और लिंगानुपात में लड़कियों की घटती संख्या चिंता का विषय बने हुए है। जबकि इस दौर में लड़कियाँ शिक्षा से लेकर विज्ञान और अंतरिक्ष तक में अपनी प्रतिभा के पताके फहरा रही हैं। स्त्री समाज की जीवन शक्ति होती है, परिवार की धुरी होती है और उसका शिक्षित और सशक्त होना सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नयन के लिए आवश्यक है। स्त्री ही चराचर जगत की सृष्टि करती है और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं वे माता दुर्गा के रुप में परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के आठवें महासचिव बान की-मून के अनुसार - "उचित शिक्षा एवं रोजगार तथा महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ गरीबी आदि को दूर करने जैसे लक्ष्यों को पाने के लिए उत्तम पोषण व अच्छे स्वास्थ्य का आधार तो होना ही चाहिए परंतु साथ ही यह एक शांतिपूर्ण सुरक्षित और स्थिर समाज की नींव रखने में भी सक्षम हैं। विभिन्न एस.डी.जी.

संबंधी लक्ष्यों को पाने के लिए महिला सशक्तिकरण में निवेश करना अति आवश्यक है जो खासतौर पर गरीबी कम करने और सतत् आर्थिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।"

भारत में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक समानता हासिल कर ली है, अब हमारा देश शैक्षिक स्तरो पर समानता हासिल करने की ओर भी अग्रसर है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का कानून जो एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता हैं, के अंतर्गत 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' महिलाओं के लिए सही रोजगार मुहैया करवाने की ओर आवश्यक कदम किशोरी सशक्तिकरण के लिए उचित कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना एवं जननी सुरक्षा योजना के साथ-साथ लैंगिग समानता के लिए भारत सरकार न केवल समर्थन करती है अपितु अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाती है।

प्रशासन एंव राजनीति में महिलाओं की भूमिका

श्रीमति रमाकान्ति साहू
प्रध्यापक
उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर

हर क्षेत्र की तरह प्रशासन एंव राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। मानव सभ्यता के हर देशकाल में यह दृष्टिगत होता है, चाहे वह प्राचीन काल हो मध्यकाल या आधुनिक काल पश्चिमी देश हों या पूर्वी देश, हो या विकासशील या गरीब देश। महिलाओं ने अपनी योग्यता को पहचान दिलाने में बहुत संघर्ष किया है और यह संघर्ष आज भी जारी है।

ऐसा भी नही है कि मानव इतिहास में प्रशासन व राजनीति दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की कोई भूमिका ही नही थी पूर्व मध्यकाल में कश्मीर की रानी दिद्दा दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान, काकतीय रानी रुद्राम्मा आदि उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। कल्याणी के चालुक्यों की राजकुमारियाँ प्रदेशों की शासिका थी। लेकिन ये नियम कम और अपवाद अधिक थे। इस स्थिति में बदलाव पश्चिमी विश्व में औद्योगिक क्रांति के साथ आया, जब महिलाओं ने बडी संख्या में आर्थिक गतिविधियों में योगदान दिया, इसमें विश्व युद्धों के साथ और वृद्धि हुई, जब पुरुषों की युद्धों में भागीदारी के कारण महिलाओं ने आर्थिक मोर्चे को संभाला, इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओ की भूमिका व उनके योगदान के महत्व के बारे में वैश्विक जगत का ध्यान आकर्षित किया। धीरे-धीरे महिलाएँ केवल श्रमिक से कौशल युक्त श्रम जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, वकील, खिलाड़ी, अभिनेत्री आदि महत्वपूर्ण पदों को भी प्राप्त किया, इसी तरह प्रशासन में किरण बेदी आदि अनेक उदाहरण आज विश्वभर में देखे जा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे देश में इंदिरा गांधी जर्मनी की एंजेला मार्केल, जैसे भी उदाहरण है जहॉ इन्होने राष्ट्र का नेतृत्व संभाला।

हाल ही में सना माटिन विश्व की सबसे युवा (34 वर्ष की आयु में) सेवारत् प्रधानमंत्री बनी। वर्तमान में ऐसे अनेकों उदाहरणों के बाद भी महिलाएँ आज भी अपनी स्थिति के लिए संघर्षरत है।

अर्न्तसंसदीय यूनियन डाटा के 2014 के आकड़ों के अनुसार महिलाओं की राजनीति पदो में भागीदारी का वैश्विक औसत केवल 24.6% हैं। अमेरिका चीन, जापान एवं रुस जैसे देशों में अब तक राष्ट्र प्रमुख के रुप में एक भी महिला नही चुनी गयी हैं।

भारत में भी स्थिति कोई बेहतर नही है। 17 वी लोकसभा चुनाव में महिला प्रतिनिधि 14.39% रही, यद्यपि 1952 के 4.4% से यह बेहतर है। किंतु वैश्विक औसत जो स्वयं कम है उससे भी यह काफी कम है।

भारत के विविध राज्यो में स्थिति राष्ट्रीय औसत से भी खराब है। यद्यपि स्थानीय निकायों जैसे पंचायत व नगरपालिका में महिलाओ को आरक्षण दिए जाने के कारण दिए जाने के कारण वहॉ महिला प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी देखी जा सकती है, लेकिन वहॉ सबसे बड़ी चुनौती उनकी रबर स्टाम्प बनकर रह जाने की है।

भारत में महिला काम की दर केवल 26% है, जबकि चीन में 46% है। राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिए भारतीय महिलाओं में यू.एन.ओ सचिव विजय लक्ष्मी पंडित, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जयललिता, उमा भारती, मायावती और वसुन्धरा राजे सिंधिया, राष्ट्रपति प्रतिमा देवी पाटिल, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वर्तमान वित मंत्री निर्मला सीतारमन शामिल है।

महिला सशक्तीकरण में शिक्षा-जगत की चुनौतियॉ

डॉ.स्वाति शर्मा श्रीमती सारिका गुप्ता

समाजशास्त्र विभाग

डी.एल.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

महिला शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है वैदिक कालीन शिक्षा सबसे प्राचीन है वैदिक युग में पुरूषों के समान महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। मध्य काल में लगभग 600 वर्श तक मुगलों ने शासन किया ततपश्चात् 150 वर्ष तक ब्रिटिश शासन रहा इस प्रकार शिक्षा विदेशी शासको से अधिक प्रभावित रही। इस प्रकार महिला-शिक्षा विकास को चार कालों मे विभक्त किया जा सकता है -

1. अतीत तथा वैदिक काल में महिला शिक्षा
2. मध्यकालीन अथवा मुस्लिम काल में महिला शिक्षा
3. ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा
4. आधुनिक काल में स्वंत्रता के पश्चात महिला शिक्षा वैदिक काल में मैत्र, गार्गी, लोपा, मुद्रा आदि विख्यात नारियों का नाम आता है जो विभिन्न शास्त्रों का गहन ज्ञान अर्जित किया करती थी, तथा शास्त्रार्थ में पुरुषों को पीछे कर देती थी। उदाहरण स्वरुप जनक के दरबार में गार्गी, ने ज्ञान के याज्ञवल्यक्य को शास्त्रार्थ चुनौती दी तथा उसे अपने प्रश्नों से चकित कर दिया था। मदन मिश्र और शंकराचार्य में हुए शास्त्रार्थ में मदन मिश्र की पत्नी भारती ने निर्णायक की भूमिका का निर्वहन किया जब युधिष्ठर ने द्रोपती को दांव पर लगाया था तो उसने उस दांव को कानूनी आधार पर चुनौती दी थी।

सन् 1854 से 1882 तक :- सन् 1854 में शिक्षा महाधिकार पत्र के अनुसार मद्रास में लड़कियों के स्कूलों की संख्या 256, मुबंई में 65, बंगाल में 288 तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों में 17 थी, वुड घोषणा पत्र के द्वारा सरकार ने महिला शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता का वचन दिया और सीधी कार्यवाही करने का भी वचन दिया। सन् 1882 तक लड़कियों के लिए

2600 तक प्राथमिक विद्यालय, 81 उच्च माधमिक विद्यालय, 15 शिक्षण संस्थाऍं तथा एक महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे। सन् 1882 से 1902 तक हंटन आयोग ने सुझाव दिया था कि पब्लिक फंड का अधिकांश भाग महिला शिक्षा में लगाना चाहिए और उसके लिए उदारता पूर्वक सहायता अनुदान देना चाहिए। 1902 के अंत में 12 महिला विश्वविद्यालय, 468 माध्यमिक विद्यालय 5650 प्राथमिक विद्यालय, 45 प्रशिक्षण संस्थाएं महिलाओं के लिए स्थापित किए जाा चुके थे। सन् 1901-02 में 76 महिलाएं मेडिकल कॉलेज में तथा 166 मेडिकल विद्यालयों में थी। सन् 1902 से 1917 तक इस काल में महिला शिक्षा के सभी स्तरों पर विशेष प्रगति हुई 1917 में श्रीमती एंनीबेसेंट की अध्यक्षता में भारतीय महिला संगठन की स्थापना की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा का प्रसार करना था। सन् 1918से 1947 तक इस काल में स्त्री शिक्षा में पर्याप्त उन्नति की।

महिलाओं के साथ हो रहे अपराध

श्रीमति अलका सिंह
पी.एच.डी. शोधार्थी
श्री.म.ल.दा.शी.महा.शिविर

इस दृष्टि रुपी गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष व महिला गाड़ी के दो पहिये के समान है इस समाज में महिलाएं अपनी भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी निष्ठा से निभाती है फिर भी इस समाज में महिलाओं को वो सम्मान व स्थान नही मिलता जो पुरुषों को मिलता है।

भारतीय समाज में त्रेतायुग से लेकर कलयुग तक अपनी सुरक्षा व अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। फिर भी वह गर्भावस्था से ही असुरक्षित व अपमानीत है एक लड़की को पहले जन्म लेने के लिए अपनी अहमियत साबित करनी पड़ती है। कन्या गर्भ में सुरक्षित रहे और जन्म ले सके इसलिए भी भारत जैसे देश को कानुन बनाने पड़े है। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी फिर उसे अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पडता है। फिस उसे जिवन भर किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में रहना पड़ता है और उसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पढ़ता है।

स्त्री सृष्टि की ऐसी रचना होती है जो सबके लिए समर्पित होती है। वर्तमान समय वैश्वीकरण का है यहां भी स्त्री को एक भोग्या के रुप में प्रचार एवं मनोरंजन के नाम पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को समान अधिकार दिलवाने के लिए कई कानुन तो बनाऐं गये है किन्तु व्यवहारिक तौर पर पुरुष किसी महिला को अधिकारी या समक्षी के रुप में स्वीकार करने में अभी भी पुर्ण रुप से सक्षम साबित नही हो पा रहे है।

वर्तमान समय में महिलाएं सभी क्षेत्र में पुरुष से कदम से कदम मिलाकर चल रही है। महिलाए संरक्षण के लिए शासन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। फिर भी महिला उत्पीड़न रुक नही पा रहा है। बल्कि दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। फलस्वरुप आज भी महिलाएं उस सम्मान व कार्य करने से वंचित हो रही है जिसके वो योग्य है। महिला चाहते हुए भी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है।

इस समस्या के समाधान के लिए बौद्धिक रुप से चर्चा होनी चाहिए और इसी प्रयास से महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को रोका जा सकता है देश में समाज में व परिवार चेतना लाया जा सकता है।

रामचरित मानस में प्रयुक्त महिलाओं से संबंधित रूढ़ि उक्तियाँ

मुरली मनोहर सिंह
सहायक प्राध्यापक (हिंदी विभाग)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

किसी भी समाज में वर्चस्वशाली वर्ग द्वारा आश्रित वर्ग की उपेक्षा सामान्य बात है। वर्चस्वशाली वर्ग आश्रित वर्ग को दोयम दर्जा देता है। साथ ही उसे हमेशा दोयम बनाये रखने की साजिश भी गढ़ता है। इन साजिशों में से एक साजिश; उपेक्षित वर्ग के मनोबल को सदैव तोड़े रखने वाली वे उक्तियाँ हैं, जो प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी दृष्टि के अनुसार आश्रित वर्ग की प्रवृत्ति गढ़ते एवं उसे सर्वमान्य रुप देते हुए रचता है। कालांतर में ये उक्तियाँ प्रभुत्वशाली वर्ग के वर्चस्व को मनोवैज्ञानिक रुप से कायम रखने में मदद करती हैं।

पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री सदैव दोयम दर्जे की प्राणी ही ठहरती है। पुरुषवादी मानसिकता जब स्त्री से तर्कों में हार जाती है, तो अपनी धाक को परंपरावादी नैतिक आवरण देने के लिए इन उक्तियों का सहारा लेती है। रामचरित मानस में तुलसीदास ने इस मानसिकता का बेहतर निदर्शन कराया है। प्रस्तुत पत्र में तुलसीदास कृत रामचरित मानस में महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणा संबंधी उल्लिखित उक्तियों की ओर ध्यानाकृष्ट कराया गया है।

महिला सशक्तिकरण में संविधान एवं कानून की भूमिका

श्रीमती संगीता सक्सेना
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)

श्रीमती रसिका लोणकर
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)

डी.पी. विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की क्षमता एवं उस योग्यता से है जिसमें वह अपने जीवन के सभी निर्णय स्वंय ले सके। अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है।

सदियों से पुरुषों द्वारा महिलाओं पर किए गए वर्चस्व और भेदभाव के कारण महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पैदा हुई। भारत एक जटिल देश है जहां पर देवी की पूजा की जाती है। अपनी बेटियों, माताओं एवं बहनो को महत्व दिया जाता है वही दूसरी ओर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, यौन हिन्सा, मानव तस्करी व घरेलू हिंसा आदि। अतः महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रावधान बनाने गये जो निम्नांकित है :-

संवैधानिक अधिकार : भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार पुरुषों की तरह सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिए कानून बने है। जिसमें संविधान के विभिन्न अनुच्छेद षामिल है जैसे- अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 (3), अनुच्छेद

16 (1), अनुच्छेद 19 (1), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25-28, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 332 (क) आदि अधिनियम बनाये गये। 1986 में इसे भी संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया।

भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के लिए कानून :-

01. दहेज हत्या से जुड़े कानून
02. यौन अपराध एवं बलात्कार सम्बन्धित कानून
03. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून
04. समान वेतन का अधिकार
05. वर्किंग प्लेस में उत्पीड़न के खिलाफ कानून

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सषक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उक्त अधिनियम एवं संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये है। इसके लिए समाज को भी एक नई सोच के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

संगीता श्रीवास्तव
शोधार्थी
मनसा शिक्षा महाविद्यालय

प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनो की सहभागिता आवश्यक है, भावी पीढ़ी के रुप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए परिवार की धुरी, महिला का सशक्तीकरण जरुरी है। और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा इसी संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग के अनुसार स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना किसी समाज के लोग शिक्षित नही हो सकते।''

स्वतंत्रता के बाद सरकार, महिला संगठनों, महिला आयोगों आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले, उनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ा। जिससे उनमें जागृति आई। आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, परिणामस्वरुप वे प्रगतिपथ पर आगे बढ़ी। आज महिलाएं राजनितिक, समाज सुधार, शिक्षा पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग ,व्यावसायिक प्रबंधन, शासन प्रशासन, चिकित्सा इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला संगीत, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है। परन्तु शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टि पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पूरी दूनिया मे स्कूल न जाने वाले 121 मिलियन बच्चों में 65% लड़कियां है। इसी प्रकार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 53.67 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर 46.58 एवं नगरीय साक्षरता दर 72.99 है। आज बालिका शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। क्योंकि शिक्षित आत्मनिर्भर, सशक्त महिलाओं के द्वारा ही भारत को एक सशक्त व विकसित देश के रुप में निर्माण कर पाना संभव हो सकेगा।

TRIBAL WOMEN EMPOWERMENT-AN OVERVIEW OF CHATTISGRAH

J.P Dubey
Assistant Professor
Department of commerce
Govt. Bilasa Girls P.G College Bilaspur

Anushree Dubey
Department of commerce
Govt. Bilasa Girls P.G College
Bilaspur

Ayush Dubey
Govt.J.P. Verma
Arts and Commerce
College Bilaspur

Women Empowerment means their capacity to participate as equal partners in cultural, social, economic and political systems of society women want to be treated as equal so much if women try to top of the field it should be common placeoccurrence that draws nothing more than raised eyebrow at gender. This can only be happen if there is channelized route of empowerment of women. Women of Chhattisgarh enjoy a unique position within the county. The proportion of women in the population (the sex ratio or the no of women per 1000 men) 991 according to 2011.The sex ratio is universally acknowledged as an indicator of women wellbeing, survival and status, and in this position Chhattisgarh is second among the state in the country(after Kerala 1058)Tribal women belonging to Chhattisgarh have often been victims of trafficking and other kinds of exploitation so there is crucial need to empower women of chattisgarh.In context to change status quo and make tribal women independent and strong. There are various measures taken by government of Chhattisgarh to make women self-reliable and independent some of the policies and programs for women empowerment are SARASWATI CYCLE SCHEME, KASTURBHA GANDHI BALIKA VIDHLAYA, MUKHMANTRI SWALABAN YOJANA, and DANTEWADA EDUCATIONAL CITY ETC. There are various ways and means to make tribal women self-strong not only socially but economically and mentally this can be done through generating awareness, building of self-esteem and confidence, boosting decision making power, create training centers for women for production and processing of tusar silk and educating women for their rights. Various skill development programs can also be held for tribal women relating to apparel, beauty, apprenticeship training, entrepreneurial initiatives etc.

KEYWORDS- Status quo, exploitation, reliable, channelized etc.

सशक्त व सफल महिलाओं की चुनौतियाँ

अमृता भोई
कम्प्युटर ऑपरेटर
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

हमारे समाज में महिला अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम् किरदार निभाती है। अपनी सभी भूमिकाओं में निपुर्णता दर्शाने के बावजूद आज के आधुनिक युग में महिला पुरुष से पीछे खड़ी दिखाई देती हैं। महिला पूरी जिंदगी बेटी बहन, पत्नी, मां, सास, दादी जैसे रिश्तो को ईमानदारी से निभाती है इन सभी रिश्तो को निभाने के बाद भी वह पूरी शक्ति से नौकरी करती है।

➢ अगर हम महिलाओं की दशा को समाज की पौराणिक स्थिति से तुलना करे तो साफ दिखता है कि हालात में कुछ तो सुधार हुआ है। कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका- भारत जैसे विशाल देश में जहां की आबादी की 50% स्त्रियां है वहां उनके भाग्य का कर्मक्षेत्र का जीवन का निर्णय वो नही बल्कि घर के पुरुष या बुजुर्ग लेते थे, आर्थिक जिम्मेदारी पुरुषो पर रहती थी। आज परिस्थियां बदल रही हैं।

➢ घर की महिला वर्ग ने भी आर्थिक विकास के हेतु कदम बढ़ाया है और वो वाकई में पुरुषो के कान्धों से कन्धा मिलाकार चल रही हैं।

➢ घर की चार दिवारी को लांघ कर बाहरी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है वो अब - पढ़ाई, जॉब के साथ बच्चों के पालन में, कड़ी मेहनत, मजदूरी, पत्नि धर्म व अपने अस्तित्व को दो भागों में बांटते हुए बेहतर संतुलन बनाने की चेष्टा करती जा रही हैं, अपने अस्तित्व की पहचान बनाने में बाहर वें हरपल कई चुनौतियो का सामना करती हैं- यौन उत्पीड़न, व्यंगात्मक परिहास का सामना, समाज का जैसे-जैसे विकास हो रहा है स्त्रिया भी किसी कार्य में पीछे नहीं हट रही हैं, हां सच है कि पैसे से खुशियों नहीं आती पर बहुत कुछ आता है जो खुशियां लाता हैं। स्वस्थ षरीर रखे, रोग मुक्त तनाव रहीत जीवन बनाएं एवं एक हंसता परिवार समाज को दिखाएं।

महिलाओं की असमान स्थिति : एक सामाजिक समस्या

डॉ. (श्रीमती) चंदना मित्रा
प्राध्यापक समाज शास्त्र
शासकीय नवीन महविद्यालय पाली, जिला- कोरबा (छ.ग.)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' जो हर साल 8 मार्च को मानया जाता है, इसकी शुरुआत 1909 में हुआ था, और इसे 'अंतर्राष्ट्रीय कार्यरत महिला दिवस' कहा जाता था, इसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से महिलाओं के प्रति समाज में उनकी देन तथा सहयोग के लिए प्रेम, सद्भावना, सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, पर राष्ट्रसंघ विश्व में महिलाओं के संघर्ष के प्रति राजनैतिक एवं सामाजिक जागरुकता लाने के लिए, उन्हें अपना अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है।

नारी विधाता की सुंदर कृति है', मगर हमारी समाज व्यवस्था ने नारियों की स्थिति को सोचनीय बना दिया है, हमारे समाज के दैनंदिन की प्रथाएँ, परंपराएँ, समस्याएँ हमें यह विश्वास करने पर मजबूर कर देता है कि नारी एवं पुरुष में असमानता है, हमारे परिवार की प्रथाएँ, परंपराएँ, धार्मिक विश्वास, सामाजिक श्रम विभाजन, लैंगिक विभाजन, विवाह की परंपरा, शिक्षा प्रणाली एवं सिविल कानून सभी मिलकर समाज में एक विशेष धारा, अपेक्षा तथा धारणा का विकास करती है, जिसके फलस्वरुप महिलाएँ परिस्थिति का शिकार बन जाती है और समाज में गौण बनकर रह जाती है, आश्रित बनकर रह जाती है, यह पुरुष प्रधान समाज की देन है, किसी ने कहा है-

१As long as women continue to be in a position of receiving rather than giving, they shall continue to bear injustice"

मगर क्या यह सत्य है कि महिलाएँ सिर्फ लेने-की स्थिति में है ? मुझे लगता है कि एक बेटी, बहु, पत्नी, माँ तथा सास बनकर महिलाएँ निरंतर समाज को कुछ न कुछ दे रही है। उनके इस निःस्वार्थ कार्य का कोई आकलन नहीं किया जाता है क्योंकि वह सेवाभाव से किया गया कार्य है। जैसा कि Adam Smith, 'The father of Economics' ने कहा है कि- ''कार्य उसी को माना जाएगा जो किसी मूल्य (Value) की अपेक्षा में किया जाएगा, वह मूल्य नगद या वस्तु के रुप में हो सकता है।''

अतः महिलाओं द्वारा निःस्वार्थ भाव से किसी अपेक्षा के बिना ही किया गया कार्य को मान्यता नहीं दी जाती है, उसका मूल्य निर्धारण करना भी कठिन कार्य है। यहाँ मैं T. S. Eliot को उद्धत करना चाहुँगी- "If you haven't the strength to impose your own terms upon life, you must accept the terms it offers you". अर्थात् यदि आप अपने जीवन को अपनी मर्जी से नहीं चला पाते तो आपकी अपनी परिस्थितियों को अवश्य ही स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर अधिकांश महिलाओं का जीवन ऐसा ही है, तभी महिलाओं को 'Second Sex' ;k 'Second Citizen' कहा जाता है। पुरी दुनिया में, जिसका जिक्र हमें सायमन द बुआ की पुस्तक 'The Second Sex' में मिलता है। मैंने अखबार में पढ़कर हैरान हुई।

मेरा यह ाोध द्वैतियक तथ्य तथा व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। इससे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की असमान स्थिति सम्पूर्ण विश्वव्यापित है।

मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में महिलाओं के विषय में रुढ़ियुक्तियाँ और इसका प्रभाव

डॉ. स्नेहलता निर्मलकर
(शोध निर्देशिका)

सुलोचना कुर्रे
(पी-एच.डी.(हिन्दी) शोधार्थी)

डॉ.सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर

प्रेमचंद जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को समाजिक विष कहा है। इसकी निंदा के लिए कई कहानियों की रचना की 'सुभागी', लांछन (मानसरोवर-1) उन्माद (मानसरोवर-2) तथा नैराश्य लीला (मानसरोवर-3) आदि कहानियों में बाल-विवाह के दुष्परिणामों पर उन्होंने छींटे कसे हैं। इन कहानियों में उन्होंने ऐसे चरित्र प्रस्तुत किए हैं जैसे सुभागी 11 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है और नैराश्य लीला की कैलाश कुमारी का अभी गवना भी नहीं होता है कि वह विधवा हो जाती है। इसके बारे में उन्होंने एक जगह लिखा है कि ''पाँच साल के दूल्हे तुम भारत के सिवा और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे।''

'नैराश्य लीला' की मुख्य पात्र कैलासकुमारी नारी चेतना का प्रतीक है। जिसने रुढ़िवादी परम्परा का विरोध किया तथा अपने आत्म सम्मान की रक्षा की।

सामाजिक रुढ़ियों के संदर्भ में प्रेमचंद जी ने वैवाहिक रुढ़ियों जैसे अनमेल विवाह, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, पतिव्रता धर्म के संबंध में बड़ी संवेदना और संचेतना के साथ लिखा है। तत्कालीन समाज में यह बात घर कर गई थी की तीन पुत्रों के बाद जन्म लेने वाली पुत्री अपशकुन होती है। उन्होंने इस रुढ़ि का अपनी कहानी 'तेंतर' (मानसरोवर भाग-3) में बताया। प्रेमचंद जी इन रुढ़ियों का विरोध करते थे। अपनी कहनी 'बालक' (मानसरोवर-2) के माध्यम से यह घोषणा करते हुए कहा है कि ''मैं निरर्थक और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं।''

प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया है कि स्त्रियों की किसी जाति और समाज की नैतिक और चारित्रिक चेतना का प्रतीक होती है। नारी विमर्श की उनकी प्रमुख कहानियाँ - अग्नि-समाधि, सोहाग का शव, नया विवाह, कायर, शांति, बूढ़ी काकी, निर्वासन, सती, स्वामिनी, माँ आदि।

प्रेमचंद जी प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे वे जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की किरण को आलोकित करना चाहते थे। अतः उन्होंने नारी जीवन से संबंधित, भारतीय समस्याओं, बाल मनौवैज्ञानिक, शैक्षणिक रचनाएँ, दलित विमर्श, सामाजिक और पारिवारिक आदि क्षेत्रों में इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज नवजागरण की चेतना जागृत करने का प्रयास किया।

महिलाओं के साथ हो रहें अपराध एवं उत्पीड़न

श्रीमती मधु प्रेमा तिर्की
शोधार्थी
शा. बि. क. स्ना. महा., बिलासपुर

रमेश कुमार थवाईत
शोधार्थी
शा. क. उ. मा. वि., पण्डरीपानी

अभी भी प्रश्न चिन्ह है। वह हर युग, हर काल में पुरुष के द्वारा छली जाती रही है। कवि दिनकर का हृदय पुकार उठता है -

मुक्त करो नारी को मानव, चिर बंदिनी नारी को।
युग-युग की निर्मम कारा से, जननी सखी प्यारी को।

भारत में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है । कन्या का देवी का अवतार मानकर हर देवियों की पूजा में नौ कन्या भोज कराया जाता है, महिलाओं को घर की लक्ष्मी समझा जाता है लेकिन यही कुछ लोग महिला को गलत दृष्टि से देखते है । नौ कन्या को भोज देने वाले व्यक्ति ही घर में पत्नी ,बहु या अन्या महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है । जिसके कारण महिलाओं को उत्पीड़न की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

भारत में आज 70 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है । फिर भी उन पर तरह – तरह के अत्याचार होते है । आज स्त्री पुरुष के मुकाबले शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती फिर भी उनके ऊपर पुरूष का अत्याचार होता है ।

21वीं सदी के भारत की प्रगति और महिलाओं के अत्याचार दोनों साथ –साथ चल रहें है । सरकारी दफ्तर , सार्वजनिक जगह, घर एवं समाज में हो रहें अत्याचार महिलाओं के लिए बहुत गम्भीर समस्या बन चुकी हैं ।

प्राचीन काल से ही महिलाओं को मनोरंजन एवं उपयोग का साधन माना जाता था और आज भी मनोरंजन के लिए ही महिलाओं का बलत्कार हो रहा है । वर्तमान में ससुराल में सास,ननद,भाभी ,जेठानी कई तरह से मानसिक परेशानी देती है ।ग्रामीण क्षेत्रों में बहु को सिर्फ काम करने वाली बाई समझा जाता है। हमें समाज की सोच को बदलने की जरूरत है ।

कई घटनाएँ है पति की दूसरी महिला साथी होने के कारण पत्नि को मानसिक परेशानी की गम्भीर समस्या से गुजरना होता है ।

समाज में हो रहे सभी हिंसाओं के लिए कानून तो बने है। पर सबसे गम्भीर समस्या है घरेलु हिंसा जिसमें महिला कानून का लाभ नहीं ले पाती है। क्योंकि वह मजबूर है। दुविधा जनक स्थिति में रहती है।

भारतीय संविधान में संशोधन कर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध एवं उत्पीड़न के लिए महिला न्यायालय की स्थापना की जाए जिसकी जज महिला हो ,दोषी के पास पुनर्विचार याचिका न हो केवल राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प हो ,जिससे न्याय व्यवस्था की लचीलापन समाप्त होगी और दोषियों को जल्द सजा दी जा सकेगी

आज देश की महिलाएं अपराध एवं उत्पीड़न की भयावह समस्या से जूझ रही ह। जन जागरूकता ,विवक,एव न्याय व्यवस्था सुदृढ़ कर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। नारी से ही समाज का विकास हुआ है । जगत में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है ।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा-जगत् की चुनौतियाँ

डॉ. एस. रुपेन्द्र राव
विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

भारत जैसे विकासशील देश में वर्तमान शिक्षा की दशा विश्व के अन्य विकसित देशो की तुलना में कम बेहतर है। शिक्षा के समुचित वातावरण की उपलब्धता इस 21वीं सदी की महत्त्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, जहाँ एक ओर पूरी जनसंख्या तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुँचाना सरकार एवं प्रशासन के लिए चुनौती है वहीं लैंगिक असमानाता भी बहुत हद तक यहाँ दिखाई देती है। शिक्षा जिसमें प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक सम्मिलित है महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों की अपेक्षा अच्छा रहता है किंतु यदि शैक्षणिक आंकड़ो को देखें तो अपेक्षाकृत महिलाएं उस प्रतिशत में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही है जितनी होनी चाहिए ग्रामीण परिवेश में यह स्थिती और भी विचारणीय है। किसी भी विकसित देश का हम विचार करें तो यह दिखाई देता है कि वहाँ स्थित जनसंख्या का शैक्षणिक सामाजिक स्तर बहुत उच्च है जिससे वहाँ विकास भी उतने ही तीव्र गति हो रहा है वहाँ कि महिलाएं भी अपेक्षाकृत अधिक जागृत और सशक्त है। भारत जैसे देशों में महिला सशक्तिकरण में बहुत सी चुनौतियाँ है जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगौलिक, आर्थिक, स्वास्थ्यगत पक्षों के अतिरिक्त शिक्षा जगत से संबंधित चुनौतियाँ बहुत व्यापक और गंभीर है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इन्ही चुनौतियों के व्यापक पक्ष को उजागर करना तथा इसके समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास करना है।

संकेत शब्द - सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक-सास्कृतिक परिवेश, चुनौतियाँ आदि।